छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **द्वितीय सत्र**

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019

(आषाढ़ 25, शक सम्वत् 1941)

[अंक 03]

कार्यालय प्रति

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019

(आषाढ़ 25 शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ0 चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

बधाई

गुरूपूर्णिमा के अवसर पर सदन के सदस्यों को बधाई

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा विपक्ष खाली हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गुरूपूर्णिमा है, आप सदन को बधाई दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बधाई दीजिये। हम सबकी ओर से गुरूपूर्णिमा की आप सबको बधाई। जो मुझ से छोटे हैं, उनको आशीर्वाद।

एक माननीय सदस्य:- आपको भी बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- गुरूजी और ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग चौबे जी से निवेदन किए थे कि आज गुरूपूर्णिमा है, हम लोग मिलेंगे।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू :- आप व्यवस्था के लिए ऐसा नहीं बोले थे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व उपाध्यक्ष और सदस्य नारायण चंदेल जी मुझे कह रहे थे, आप संसदीय कार्यमंत्री हैं, गुरू हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने पूछा कि कहां जा रहे हैं तो बोले कि महागुरू के पास जा रहा हूँ। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- वैसे सबसे बढ़िया कबीर साहब ने कहा है--

"गुरू गोविन्द दोउ खड़े, काके लागू पाय,
बलिहारी गुरू आपनो, गोविन्द दिया बताय।"

श्री रविन्द्र चौबे :- तो आप ही को प्रणाम कर लेते हैं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इधर की सरकार कबीर साहब को ठीक से समझ नहीं रही है। कल रात तक कबीर साहब के बारे में समझ नहीं पाये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय धर्मजीत भैय्या, कल इस सदन में इसी पर तो एक घंटा चर्चा हुई है। आपने जो सुझाव दिया, माननीय ताम्रध्वज भैय्या जी से बड़े कोई कबीरपंथी हो सकते हैं क्या ? आसंदी में बैठे हमारे आदरणीय डॉ0 चरणदास जी महंत से कोई ज्यादा उनकी सोच वाले और अनुयायी हो सकते हैं क्या ? हम सब लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए आज अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आज गुरूपूर्णिमा है, सबकी ओर से हम लोग प्रणाम कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर सही मायने में अनुयायी हैं तो आज घोषणा करवा दीजिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- उसमें ग्रैण्ड फादर तो खाने वाले हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, अगर साहू जी अनुयायी हैं तो आज घोषणा करवा दीजिये कि अंडा बंद।

श्री धर्मजीत सिंह :- फादर, ग्रैण्ड फादर को आप जो करना है, करिये। चाइल्ड को कुछ मत करिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बघेल जी।

के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बस्तर जिले में सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण की स्वीकृति

1. (*क्र. 669) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन सी सड़क एवं पुल-पुलियों का कार्य कब-कब स्वीकृत किया गया ? (ख) कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

अशोधित

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बस्तर जिले में स्वीकृत पुल-पुलिया निर्माण से संबंधित जानकारी चाहा था। उन्होंने चाही गई जानकारी दी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण करने की तिथि, कार्य प्रारंभ करने की तिथि का उल्लेख नहीं है। मुझे, आपके माध्यम से दो-तीन जानकारी उपलब्ध करा देंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो जानकारी चाही थी, मैंने उसके अनुसार जानकारी दे दी है। कौन-कौन सी सड़क, पुल-पुलिया कब स्वीकृत किया गया, इतनी जानकारी मांगी गई थी, मैंने वह जानकारी दे दी है। कितनी राशि, क्या-क्या है, वह कहेंगे तो मैं उपलब्ध ....।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाकी की जानकारी, उनको कक्ष में बुलाकर दे दीजियेगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश शक्रजीत नायक।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय :- आज गुरूपूर्णिमा है। 25 प्रश्न पूर्ण करने दीजिये।

रायगढ़ से सरायपाली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

2. (*क्र. 228) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ से सरायपाली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कितने किलोमीटर के लिए कितनी राशि की स्वीकृति कब प्रदान की गयी ? (ख) उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर आम नागरिकों के लिए आवागमन हेतु खोल दिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) 81.00 कि.मी. . राशि रु. 496.02 करोड़. दिनांक 09-12-2014. (ख) निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न माननीय गृहमंत्री जी से था कि रायगढ़ से सरायपाली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कितनी राशि कब स्वीकृत की गई है। उसकी जानकारी आ गई है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि उस सड़क के निर्माण में बहुत गड़बड़ी है, बहुत अनियमिताएं बरती गई हैं। आप इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है। माननीय सदस्य ने इसके लिए जानकारी चाही थी कि कितने किलोमीटर और कितनी राशि और कब स्वीकृति प्रदान की गई, मैंने वह जानकारी दी है। यह नेशनल हाईवे है और आपने सड़क के विषय में कहा है। मैं उनके विषय में अन्य जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ। इस सड़क का कार्यादेश 2015 में दिया गया था, कार्य प्रगति पर है। अनुबंध के अनुसार इसको 2017 तक पूरा होना था। 60 प्रतिशत निर्माण का काम और 15 प्रतिशत स्ट्रक्चर का काम पूरा हुआ है। इसमें शिकायत हुई थी। इसी के लिए केन्दीय मंत्री माननीय नितीन गडकरी जी ने इसके लिए मीटिंग बुलाया था। मीटिंग में भारत सरकार के द्वारा इसमें दूसरा ठेकेदार दे दिया गया है और अभी वह काम कर रहा है। लेकिन जिस गति से वह काम कर रहा है, वह गति भी बहुत कमजोर है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मीटिंग में माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने यह कहा है कि मार्च, 2020 तक इसको देख लो। अगर नहीं होगा तो इसको चेंज करना। तो इसमें मूल रूप से हम सिर्फ इन्सपेक्शन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार इस पर काम कर रही है। जैसा उनका निर्देश होगा, वैसा हम आगे करेंगे।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष जी, गोमर्डा अभ्यारण्य के अंतर्गत जो सड़क आ रही है, वहां पर आप चौड़ीकरण नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप सी.सी. रोड़ नहीं बनाएंगे तो उक्त जो भाग बचेगा, उसको डामरीकरण किया जायेगा क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क छोड़ने का कहीं प्रश्न नहीं है, अगर कोई सड़क किसी कारणवश छूट जाये तो माननीय सदस्य उसको बता दें, उसको हम लोग जिस हेड से भी, जहां से भी, जैसा पूरा करना होगा, हम लोग उसको पूरा कर लेंगे ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

पलारी विकासखण्ड के अंतर्गत छेरकाडीह मार्ग निर्माण का उन्नतिकरण

3. (*क्र. 30) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पलारी विकासखंड अंतर्गत जारा से छेरकाडीह मार्ग, 07 उन्नतिकरण कार्य कब स्वीकृत हुआ था ? (ख) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) दिनांक 20-04-2015. (ख) कार्य अपूर्ण है.

सुश्री शकुन्तला साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जारा-छेरकाडीह मार्ग वर्ष 2015 से स्वीकृत हुई है तो कब तक पूर्ण होना था ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर में अपूर्ण बताया है तो उसे कब तक पूर्ण होना था ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जिस सड़क का उल्लेख किया है, वह सड़क पहले राहत कार्य के तहत बनी हुई नहर के ऊपर सड़क थी और उसके बाद जब ये सड़क स्वीकृत हुई तो सड़क की लंबाई के हिसाब से जितना उसका इस्टीमेट बनता था, वह स्वीकृत हुआ । जब हमने निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो किसानों ने मुआवजा मांगना शुरू किया । जब मुआवजा मांगना शुरू किया गया तो मुआवजा इस्टीमेट में नहीं था इसलिए उस काम को रोकना पड़ा । हम लोगों ने फिर से उसके मुआवजा के लिए राशि की मांग किया है, उसमें लगभग 44 लाख लगना है और मांग प्रस्तुत भी कर दिए हैं । जैसे ही हमको वित्त विभाग से स्वीकृति मिलेगी, वैसे ही किसानों को मुआवजा देने के बाद उसमें काम शुरू कर देंगे ।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायतों को अधोसरंचना मद एवं 15वें वित्त मद से प्राप्त राशि

4. (*क्र. 272) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत राहौद, खरौद एवं शिवरीनारायण में वर्ष 2017 से 1 मई, 2019 तक अधोसरंचना मद एवं 15वें वित्त मद से कितनी राशि शासन से प्राप्त हुई है ? किस-किस कार्य में कितना-कितना खर्च किया गया है ? वर्षवार कार्य का नाम सहित पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत राहौद, खरौद एवं शिवरीनारायण में वर्ष 2017 से 1 मई 2019 तक अधोसंरचना मद एवं 15वें वित्त मद में शासन से प्रदत्त राशि कार्यवार खर्च की गई राशि, एवं वर्षवार कार्य पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" में है.

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं था कि मेरा प्रश्न आज ही पूछा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, इनको कक्ष में जानकारी दे दीजिएगा ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नगरीय प्रशासन मंत्री जी से पूछा था कि पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत राहौद, खरौद एवं शिवरीनारायण में वर्ष 2017 से 1 मई, 2019 तक अधो-संरचना मद एवं 15वें वित्त मद में शासन से प्रदत्त राशि में से कितनी राशि खर्च की गई है ? वर्षवार पूर्ण एवं अपूर्ण जानकारी देवें ।

अध्यक्ष महोदय :- लंबी जानकारी है, आप कक्ष में जानकारी दे दीजिएगा।

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूरा जानकारी दे दे हव ।

अध्यक्ष महोदय :- आज का समय कीमती है । श्रीमती अंबिका सिंहदेव।

जिला कोरिया में निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के स्वीकृत पद

5. (*क्र. 651) **श्रीमती अम्बिका सिंहदेव** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिले में निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में इसमें से कितने पद भरे हुए हैं, एवं कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को भरे जाने की क्या योजना है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जिला कोरिया में निरीक्षक के 12 एवं उप निरीक्षक के 31 पद स्वीकृत हैं. जिसके विरूद्ध वर्तमान में जिले में निरीक्षक के 10 पद एवं उप निरीक्षक के 20 पद भरे हुए हैं तथा निरीक्षक के 02 पद एवं उप निरीक्षक के 11 पद रिक्त हैं. रिक्त पदों को भरे जाने के लिए समय-समय पर भर्ती/पदोन्नति/स्थानांतरण की कार्यवाही की जाती है.

श्रीमती अंबिका सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से निरीक्षक और उप निरीक्षक के पदों के बारे में सूचना मांगी थी, प्रश्न का जवाब आ गया है । मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले 5-10 सालों से इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है । हमारे यहां का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जिस कारण से जो वहां पर पदस्थ हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, घटनास्थल पर समय से पहुंच नहीं पाते हैं, जिस कारण से क्राईम रेट बहुत ज्यादा है । मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि पर्सनल इंटरेस्ट लेकर जल्दी से जल्दी वहां पर इन पदों पर भर्ती लेने की प्रक्रिया करेंगे क्या?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्मानीय सदस्य ने चाहा है कि बहुत लंबे समय से वहां पद रिक्त हैं और पर्सनल इंटरेस्ट लेकर करें तो अभी ट्रांसफर का सीजन शायद शुरू हो सकता है तो निश्चित तौर पर मैं वहां प्राथमिकता क्रय में पदस्थ करने का काम करूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सीजन चलेगा तो कितने दिन तक चलेगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जुलाई के बाद सीजन रहता है, व्यापार नहीं होता, सीजन होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने ये निवेदन किया है कि पर्सनल इंटरेस्ट लेकर करेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर करेंगे या पर्सनल इंटरेस्ट लेकर करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, अब माननीय अजय चन्द्राकर जी जैसा सलाह दे दें ।

अध्यक्ष महोदय :- वैसे वहां आपको मेरी सलाह चाहिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आप दोनों का सलाह ले लेंगे ।

नहीं

उद्योगों में दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मृत्यु

6. (*क्र. 475) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग व बलौदाबाजार जिले में दिसम्बर, 2018 से 20 जून, 2019 के मध्य विभिन्न उद्योगों में दुर्घटनाओं में कुल कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई है ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार हुई मृत्यु के कितने मामलों में श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा, आर्थिक सहायता, पेंशन व अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई हैं व कितनों का प्रकरण लंबित हैं ? औद्योगिक इकाईवार जानकारी देवें ? उद्योगों में श्रमिकों के मृत्यु के लिए सुरक्षा लापरवाही के लिए किन-किन इकाईयों अथवा व्यक्तियों के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नाधीन जिलों में दिसम्बर 2018 से 20 जून 2019 के मध्य विभिन्न उद्योगों में दुर्घटनाओं में कुल 45 श्रमिकों की मृत्यु हुई है. (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हुई मृत्यु के कुल 45 मामलों में से—

39 श्रमिक ई.एस.आई.सी. में बीमित है. मृत श्रमिकों के आश्रितों द्वारा पेंशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है.
01 व्यक्ति अधिकारी स्तर के होने से ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट ईन्श्योरेन्स में बीमित है.
01 मृत श्रमिक के आश्रित को आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय से मुआवजा दी गई है.
04 मृत श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही श्रम न्यायालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है.

इन 45 मामलों में मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के तौर पर कुल रु. 3,62,65,400/- कारखाना प्रबंधनों द्वारा भी प्रदाय किया गया है. श्रमिकों के परिजनों को दी गई मुआवजा, आर्थिक सहायता, पेंशन व अनुकम्पा नियुक्ति तथा उद्योगों में श्रमिकों के मृत्यु के लिए सुरक्षा लापरवाही के लिए इकाईयों अथवा व्यक्तियों (कारखाना प्रबंधन) के विरूद्ध कृत कार्यवाही की औद्योगिक इकाईवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

अप्रमाणित

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण के साथ में जो बहुत सारी फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, जिस प्रकार से श्रम विभाग के द्वारा लापरवाही बरती गई है । इस लापरवाही बरतने के कारण 6 महीने के अंदर में

लगभग 45 लोगों की मृत्यु हो गयी है । मृत्यु का जो कारण इसमें बताया गया है, विभाग के द्वारा मृत्यु के बाद भी उस फैक्ट्री में निरीक्षण करने के लिए गये हैं । उसके पहले वहां के सेफटी पाइंट के दृष्टिकोण से विस्फोटक पदार्थ को रखने की क्या व्यवस्था और बाकी चीजों को लेकर जो कार्यवाही की जानी चाहिये, उसके प्रति पूरा विभाग उदासीन है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो दुर्घटना में 45 लोगों की मृत्यु बताये हैं, उसके पूर्व आपके विभाग के अधिकारियों के द्वारा कब-कब उस फैक्ट्री में परीक्षण करने, मुआवना करने के लिए गये ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं कि विस्फोटक रखने की जानकारी, फैक्टरी में तो कोई विस्फोटक रहाय नई अध्यक्ष महोदय । फैक्टरी में कहां विस्फोटक रइथे, ऊंहा रइथे पत्थर-वत्थर खदान में । दूसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री में निरीक्षण की व्यवस्था है, हमारे यहां रोस्टर के आधार पर ऑनलाईन सिस्टम है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि फैक्ट्रियों में भी विस्फोटक रहता है तो मैं साबित कर देता हूँ । फैक्ट्री में भी विस्फोटक रहता है, तब मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे । मैं नाम बता देता हूँ । (व्यवधान)

श्री संत राम नेताम :- पहले मंत्री जी का उत्तर आना चाहिये । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं जानकारी दे रहा हूँ ना। (व्यवधान) कल भी हमने इस बात का आग्रह किया है..(व्यवधान) मंत्री जी जवाब.... (व्यवधान) ठीक नहीं है ।

श्री मोहनलाल मरकाम :- माननीय मंत्री जी का उत्तर आ रहा है, उसके बाद खड़े हो रहे हैं । इतनी हड़बड़ी क्यों है ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- शब्दों को भी सुनियेगा कि किस भाषा में बोला जा रहा है ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- तोर से ज्यादा शालीन भाषा में बात करथंव मिस्टर चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- (व्यवधान) ....विस्फोटक होता है, फैक्ट्री में विस्फोटक नहीं होता । हम यदि प्रमाण देते हैं कि फैक्ट्री में विस्फोटक होता है, तब मंत्री जी आप उसमें बतायें ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ रहा है, उत्तर तो आने दीजिए । इसमें हड़बड़ी क्यों हो रही है ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :-माननीय चन्द्राकर जी, जो दुर्घटनायें हुई है वह विस्फोटक के कारण नहीं हुई है । आदरणीय नेता जी, जिनकी जानकारी पूछ रहे हैं,
उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है । आप बीच में टपक जाते हो, पहले प्रश्न का उत्तर सुन लिया करो, फिर ....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी भाषा पर आपत्ति लगाई जाती है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- (व्यवधान) ... यह बात करने का तरीका है ? आप मजाक में मत रहो । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह घोर आपत्तिजनक है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- प्रश्न का जवाब आता नहीं है और मंत्री अंड-बंड बोलना शुरू करते हैं । (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर निन्दाजनक है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह षड़यंत्र के तहत प्रश्नकाल को प्रभावित किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जायें, मैं खड़ा हूँ ।

श्री अजीत जोगी :- आज गुरू पूर्णिमा है, कृपया शांति रखो ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- जी, अध्यक्ष जी के हर आदेश का पालन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि पक्ष-विपक्ष दोनों सदस्य शालीन भाषाओं और शब्दों का उपयोग करें ताकि एक दूसरे को कष्ट न पहुंचे ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, शब्द संभाले बोलिये....

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल सहमत हैं हम ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- भईया, अध्यक्ष जी काय कहाथ हे ते ला सुन ले ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, मैं खड़ा हूँ भई । शब्द संभाले बोलिये, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करै औषधि, एक शब्द करै घाव ।

श्री अजीत जोगी :- सदगुरू कबीर साहब, साहेब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह षड़यंत्र है, प्रश्नकाल को प्रभावित किया जा रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, के हर आदेश का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाएं, मैं खड़ा हूं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि पक्ष, विपक्ष दोनों सदस्य शालीन भाषा और शब्दों का उपयोग करें ताकि एक दूसरे को कष्ट न पहुंचे। ठीक है?

शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव,
एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव।

श्री अजीत जोगी :- सद्गुरू कबीर साहेब।

अध्यक्ष महोदय :- साहेब बंदगी।

दूसरा, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग मोबाईल लेकर न आएं, अगर लेकर आते हैं तो साईलेंट में रखें, घंटियां बज रही हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप अध्यक्ष हो गये हैं, उनको प्रश्न करने दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जो प्रश्न किया, बहुत सरल प्रश्न है कि जो नियम-कायदा/कानून उस फैक्ट्री/कारखाना एक्ट के अंतर्गत है, श्रम विभाग के अंतर्गत है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसका पालन नहीं हो रहा है तो जहां भी दुर्घटनाएं हुई हैं, उस दुर्घटना के पहले आपके द्वारा उसका निरीक्षण/जांच करने के लिए ऑनलाईन भी किए हैं तो कब किए हैं उसकी तारीख बताने का कष्ट करें?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, तारीख बता दीजिए। नहीं तो कक्ष में बुलाकर, चाय पिलाकर जानकारी दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हॉ, बुलाके चाय भी पिला देबो, हम ओखर जगह चाय भी पी लेबो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, क्या कारखाना एक्ट के अंतर्गत फैक्ट्री चालू करने के पहले उनका पंजीयन आवश्यक है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 प्रतिशत आवश्यक है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लिखकर दिया है कि ये दो फैक्ट्रियों का पंजीयन नहीं कराये हैं और कारखाना चालू है। मैंने इसलिए कहा कि आपके विभाग को लकवा मार दिया है। आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने पंजीयन नहीं कराया है और जिसकी फैक्ट्री चालू है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से। कुछ लोग बिना पंजीयन कराये चालू कर देते हैं, हमारे विभाग के द्वारा उसका निरीक्षण भी होता है और ऐसे लोगों को दंड देने का भी प्रावधान है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को इंजेक्शन लगाया जायेगा और उनको ठीक किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गई है उसमें है कि व्यक्ति अधिकारी स्तर के होने से कारण ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट ईंश्योरेंस में बीमित है, यह अधिकारी के लिए कहा गया है। तो जितने मृतक हैं उनका किस प्रकार का बीमा था और मृत्यु के कितने दिन बाद बीमा को देने के नियम हैं और इन मृतकों को कितने दिन बाद कौन से बीमा की राशि भुगतान की गई, किस प्रकार की बीमा की राशि का भुगतान किया गया?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 45 जो मृत श्रमिक हैं, उनसे से 39 मृत श्रमिकों के आश्रितों को ई.एस.आई.सी. (कर्मचारी बीमा निगम) द्वारा पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। 01 व्यक्ति अधिकारी स्तर का होने के कारण ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी में बीमित है। 01 मृत श्रमिक का श्रम न्यायालय में मुआवजा प्राप्त हो चुका है और जिनका ई.एस.आई.सी. में पंजीयन नहीं होता उनको श्रम न्यायालय में हमारे विभाग द्वारा वाद प्रस्तुत करके उसमें जो निराकरण होता है उस आधार पर उनको मुआवजा दिया जाता है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है कि श्रमिकों या अधिकारियों का कितने प्रकार का बीमा होता है, दूसरा जब वह मृतक मरे तो उनको नियमों में कितने दिन के अंदर देने का प्रावधान है और इस घटना में कितने दिन के अंदर भुगतान किया गया?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.एस.आई.सी. में जिनका पंजीयन होता है वह सब वहां पर आवेदन लगाते हैं कि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो उसका निर्धारण करने का कार्य ई.एस.आई.सी. के द्वारा किया जाता है और उन्हें मुआवजा प्राप्त होता है तो हमें जानकारी आ जाती है। इसमें मैंने बता दिया कि 45 मृतकों में से 39 मृतकों के आश्रितों को पेंशन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसमें अवधि का कोई नियम नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के बीमा कराये जाते हैं, कितने दिन में भुगतान होता है इसकी जानकारी रखना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है और इसका पालन किया गया या नहीं किया गया?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न्यायालयीन प्रक्रिया है। जिनका ई.एस.आई.सी. में पंजीयन नहीं है उसका हम लोग श्रम न्यायालय में वाद दायर करते हैं और श्रम न्यायालय उसको तय करता है। उसकी कोई निश्चित समयावधि नहीं होती।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है मैं बहुत छोटी बात पूछा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं करवा देता हूं, आप कक्ष में मिल लेना।

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का वार्षिक संधारण

7. (*क्र. 101) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में वार्षिक संधारण मद अंतर्गत सड़कों के संधारण हेतु वर्ष 2018-19 में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? कितने की स्वीकृति प्रदान की गई ? कितने लंबित हैं? लंबित रहने का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :

प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत कार्यों की संख्या	लंबित कार्यों की संख्या
74	8	66

प्रक्रियाधीन है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे उत्तर विधानसभा में इन्होंने बताया कि टोटल 74 काम प्रस्तावित, स्वीकृत कार्य 8 हैं और लंबित कार्यों की संख्या 66 है। मेरा मंत्री जी से पूछना है कि जो लंबित कार्य हैं उसे कब तक पूरा कर देंगे?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव 66 प्राप्त हैं वह अभी विभाग में प्रक्रियाधीन हैं, अभी समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- कृष्णमूर्ति बांधी जी। प्रश्न क्रमांक 08.

मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र से पलायन किए गए मजदूरों को अन्य प्रांत में बंधक बनाने की प्राप्त शिकायतें

8. (*क्र. 68) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी के तहत वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में पलायन किए गए मजदूरों को बंधक बनाए जाने, संबंधी कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई. किन-किन ठेकेदारों द्वारा किन-किन प्रांतों में मजदूरों को बंधक बनाया गया था. (ख) प्रश्नांश (क) में बंधक बनाए गए ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी में प्रश्नाधीन अवधि में पलायन किए गए मजदूरों को बंधक बनाये जाने संबंधी 53 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से सही पाई गई 05 शिकायतों में श्रमिकों को बंधक बनाने वाले ठेकेदार/नियोजक एवं कार्यस्थल प्रांतों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांश (क) में बंधक बनाये गए श्रमिकों के ठेकेदार/नियोजक अन्य प्रांतों के है. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत बंधक बनाने वाले ठेकेदार/नियोजक के विरूद्ध संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है. संबंधित प्रांत के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र प्रेषित कर ठेकेदार/नियोजक के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई है, जो कि अप्राप्त है.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 8 वें नंबर के प्रश्न में मैंने मंत्री जी से जानना चाहा है कि मस्तूरी क्षेत्र में कितने मजदूर पलायन होते हैं और जो बंधक होते हैं उन पर हम उनको कैसे सहायता पहुंचाते हैं या जो बंधक किये गये लोग रहते हैं उस पर कैसे कार्यवाही करते हैं ? तो मंत्री जी ने कहा कि हम वहां के मजिस्ट्रेट को पत्र भेजते हैं और मजिस्ट्रेट वहां पर कार्यवाही करता है। वहां पर अब तक के क्या कार्यवाही करते हैं उसके जवाब प्रतीक्षा में रत रहते हैं। मंत्री महोदय, अर्थात यह हो गया कि...।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ये पलायन मजदूर किसे कहते हैं बता दीजिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, पलायन मजदूर जो मजदूर कहीं दूसरी जगह जाकर काम करना चाहते हैं वह पलायन हो जाते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, यही शब्द है जो प्रदेश के मजदूर हैं। जाब ओरियेंटेड में काम करने जाते हैं। यह मजदूर स्कील्ड है। पूरे भारतवर्ष में यहां छत्तीसगढ़ के लाखों-लाखों मजदूर होते हैं जो ईंट बनाने में बड़े एक्सपर्ट लोग रहते हैं। हमारे राज्य में आते हैं और हम उनको उस जाब में अगर चार महीने के लिए बाहर जाते हैं और पलायन शब्द का नाम देते हैं। उस पलायन शब्द के कारण उसके साथ इतने अन्याय होते हैं कि पुलिस वाला उसको अलग प्रताड़ित करता है, लेबर इंस्पेक्टर अलग प्रताड़ित करता है, ठेकेदार अलग प्रताड़ित करता है। इस प्रकार से उन मजदूरों के साथ में शोषण होता है। माननीय मंत्री जी जो मजदूर कमाने खाने जाते हैं, क्या ऐसे मजदूरों को संरक्षित करने के लिए, उन मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर वे कहीं एक्सीडेंट होते हैं, मृत्यु होता है, मंत्री महोदय उसका

ईलाज करने वाला कोई नहीं होता है। क्या आप उसे संरक्षित करने के लिए और पलायन शब्द जिसे असंवैधानिक शब्द बोला जाये, क्योंकि वह मजदूरों के सीधे अन्याय से जुड़ा हुआ है। क्या आप उसे हटायेंगे ? मंत्री महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि जो ठेकेदार लेकर जाते हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। आपने बोला, यह पांच बंधक मजदूरों का आंकड़ा दिया है। उन ठेकेदारों के साथ में क्या दंड दिया गया?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछिये न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही प्रश्न पूछा हूं कि क्या मजदूरों के लिए जो काम करने जाते हैं, अपने लेबर के लिए काम करने के लिए जाते हैं। आपके पास उन मजदूरों को संरक्षित करने के लिए कोई उपाय है तो बताईये?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो मजदूर...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, बताईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, जो मजदूरी ज्यादा राशि प्राप्त करते हैं इसलिए बहुत सारे लोग चले जाते हैं। स्कील्ड लोग हैं वह दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। काम करने के लिए जाते हैं। अगर वह बंधक बना लिये जाते हैं तो हमको जानकारी होती है तो हमारे पास व्यवस्था है। अगर बंधक बनाने की जानकारी आ जाती है तो हमारे यहां के अधिकारी वहां जाते हैं। वहां के कलेक्टर से संबंधित कलेक्टर से मिलकर उनको छुड़ाकर लाते हैं और बंधक अगर प्रमाणित हो गया तो उनको मुआवजा देने का प्रावधान है। उनके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करके भी कार्यवाही होती है। 20 हजार रूपये हम उसमें तत्काल मुआवजा प्रदान कर देते हैं और वहां के जिला अधिकारी द्वारा कोर्ट में वाद दायर किया जाता है। संबंधित जो ठेकेदार हैं या जो व्यक्ति जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनके खिलाफ कार्य होती है, निर्णय होता है तो उनको एक लाख रूपये देने का है। महिलाओं और बच्चों को 2 लाख रूपये देने का प्रावधान है। जो सेक्सुअल ह्रासमेंट वाले मामले में 3 लाख रूपये तक मुआवजा देने का प्रावधान है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मजदूर जो स्कील्ड हैं ईट बनाने में यहां के लोगों को अच्छा माना जाता है वे लोग बाहर जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बाहर जाते हैं क्या वे लोग रजिस्टर्ड होते हैं ? कौन लोग गये, कहां से गये, कैसे गये, नहीं गये ? अगर नहीं होता तो आप उस पर एक पूरी बैठक करा लें। उनकी चिंता यह है कि जो स्कील्ड मजदूर जाते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता। सेक्सुअल ह्रासमेंट भी होता है, फिजकल ह्रासमेंट भी होता है तो दुनिया भर की परेशानी होती है। आप हम सब परेशान हैं। इस पर एक विस्तृत बैठक बुलाकर पलायन को और जो शिक्षित पलायन हैं, जो स्कील्ड पलायन हैं, अनस्कील्ड पलायन हैं उसके बारे में एक नियम कानून बनाने

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की व्यवस्था की जाये। चलिये अगला प्रश्न दलेश्वर साहू।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

खैरागढ़ संभाग में वृक्षारोपण एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण

9. (*क्र. 560) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत खैरागढ़ संभाग में वर्ष 2017-18 में निर्माणाधीन मोतीपुर सुकुलदैहान, मुसरा, बेलगांव, अछोली, डोंगरगढ़ मार्ग में वृक्षारोपण एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का कार्य आदेश जारी किया गया ? (ख) प्रथम कार्यादेश के बाद क्या कोई संशोधित कार्यादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो किसकी अनुमति से और किस दिनांक को कार्यादेश में संशोधन या परिवर्तन किया गया ?

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- (क) मोतीपुर, सुकुलदैहान, मुसरा, बेलगांव, अछोली, डोंगरगांव मार्ग निर्माण में वृक्षारोपण एवं आर.सी.सी. नाली के लिए पृथक से कोई कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। (ख) जी नहीं.

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न क और ख में है। पर जहां तक ख का उत्तर आ गया है। क का उत्तर स्पष्ट नहीं है, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि थोड़ा क का उत्तर जैसे कि बेलगांव, अछोली मार्ग में वृक्षारोपण आर.सी.सी नाली निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का कार्य आदेश जारी किया गया ? शायद ये प्रश्न का उत्तर मेरे में नहीं है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के (क) में माननीय सदस्य ने पूछा है कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत खैरागढ़ संभाग में वर्ष 2017-2018 में निर्माणाधीन मोतीपुर, सुकुलदैहान, मुसरा, बेलमांग, अछोली,डोंगरगढ़ मार्ग में वृक्षारोपण एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का कार्य आदेश जारी किया गया ? मैंने इसमें उत्तर दिया है कि इसके लिए पृथक से कोई कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। उन कार्यों का रोड के साथ जुड़ा हुआ है कि ये सड़क की इतनी लागत आ रही है, इतना नाली निर्माण होगा, इतना ये सब उसमें है। पृथक से कार्यादेश जारी नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय अजीत जोगी जी।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही प्रश्न किया हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें दूसरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न (ख) का जवाब ही जी नहीं है, उसमें आप क्या पूछेंगे ?

श्री दलेश्वर साहू :- नहीं। माननीय मंत्री जी सुनिये। 27 फरवरी, 2019 प्रश्न क्रमांक 22, 1823 मतलब हमने फरवरी में प्रश्न लगाया था, उसमें आपने जानकारी दी है कि उसका कार्यादेश जारी किया है। आप इसी में इसी उत्तर को दे देते तो मैं संतुष्ट हो जाता। आपने इसी प्रश्न का जवाब उस प्रश्नावली

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में दिये हो जो 27 फरवरी, 2019 का है और कह रहे हैं कि इसमें देने की जरूरत नहीं है तो मैं ये जानना चाहता हूँ। आप देख लीजिएगा?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार इनने जो प्रश्न लगाया था पृथक से कार्यादेश प्रश्न है, पृथक से कार्यादेश नहीं है। पिछली बार इनको उत्तर दिया जा चुका है कि घास लगाने के 24 लाख रूपये, नाली निर्माण के लिए 49 लाख रूपये, वृक्षारोपण के लिए 3 लाख, 75 हजार रूपये ये उसके एस्टीमेट में था, जिसके तहत अंतिम मूल्यांकन के तहत भुगतान भी हुआ है। घास लगाने में 17 लाख रूपये और नाली निर्माण में 164 लाख रूपये और वृक्षारोपण में 38 लाख रूपये, ये उनको पिछली बार के उत्तर में दिया गया है। पृथक से कार्यादेश उनका प्रश्न है, पृथक से कार्यादेश नहीं दिया गया है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नाली और वृक्षारोपण का कार्यादेश का उल्लेख है। मैं इसी चीज को कह रहा हूँ आपने मुझे पृथक का तो कह दिया कि पृथक से जानकारी नहीं दी गई है। आपने पहले तो इसी नाली निर्माण का उत्तर दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय दलेश्वर साहू जी, आप मंत्री जी से अच्छे रिश्ते बनाईये और उनके कक्ष में चाय पीने जाईये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे मेरे अच्छे रिश्ते है। वास्तव में क्या है?

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों साहू-साहू हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब माननीय जोगी जी को प्रश्न करने दीजिए।

प्रमाण के लिए नहीं

पर्यटन विभाग द्वारा होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना

10. (*क्र. 21) **श्री अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यटन विभाग द्वारा होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गयी थी ? स्थापना से लेकर वर्ष 2018-2019 तक इस संस्थान से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ? (ख) होटल प्रबंधन संस्थान में भवन निर्माण और उपकरण सेट-अप आदि में कितनी राशि व्यय हुई थी ? (ग) संस्थान की स्थापना से लेकर दिसंबर, 2018 तक वेतन भत्तों के मद में कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान का पंजीयन रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी, रायपुर में पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य-1418, दिनांक 06-06-2006 द्वारा किया गया. संस्थान में शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. (ख) होटल प्रबंधन संस्थान में भवन निर्माण कार्यों पर कुल सकल राशि रु. 20,71,71,351.00 (राशि रु. बीस करोड़ इकहत्तर लाख इकहत्तर हजार तीन सौर इक्यावन मात्र) व्यय किये गये हैं और लैब उपकरण सेट अप आदि में कोई व्यय नहीं हुआ है. (ग) संस्थान की स्थापना से लेकर दिसंबर 2018 तक वेतन भत्तों के मद में सकल राशि रु. 3,31,69,528.00 (राशि रु. तीन करोड़ इक्तीस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ अट्ठाईस मात्र) का भुगतान किया गया है.

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से जो तस्वीर सामने आयी है, वह हम सबको शर्मसार करने वाली है। आज से 13 साल पहले एक होटल मैनेजमेंट का इंस्ट्टीयूट रजिस्टर्ड हुआ, 13 साल में भवन पर 20 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च हुआ। आलीशान, अज़ीमउलशान

भवन बन गया। उसमें शिक्षा देने के लिए प्राध्यापकों और अधीक्षक की नियुक्ति की, जिस पर 3 करोड़, सवा तीन करोड़ रूपये खर्च हो गया। किन्तु ये बात हमको शर्मसार करने वाली है कि वहां 13 साल में 23 करोड़ रूपये खर्च करने के बाद भी एक भी व्यक्ति शिक्षित होकर नहीं निकला है। ये बहुत ही शर्मनाक, चिंताजनक बात है। आपने अब जो कार्यवाही की है आप सत्ता में है मेरा आपसे प्रश्न है कि अब इस इंस्ट्टीयूट को 23-24 करोड़ रूपये खर्च करने के बाद चालू कराने के लिए क्या आप नोयडा में जो नेशनल इंस्ट्टीयूट ऑफ मैंनेजमेंट एण्ड केटरिंग है, उससे मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे ? उसके लिए आपको यहां एक लैब बनाना भी आवश्यक होगा, नहीं तो मान्यता नहीं मिलेगी। पूर्व की सरकार के समय में जो 24 करोड़ रूपये का अपव्यय हुआ है, उसके लिए कौन लोग जवाबदार हैं ? ये क्या आप उसको भी निर्धारित करेंगे ? और उन पर कार्रवाई करेंगे ? आप मान्यता प्राप्त करने, इस इंस्ट्टीयूट को चालू करने और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, कृपया स्पष्ट करें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी का प्रश्न बहुत अच्छा था। हमने उत्तर भी दिया है, लेकिन उन्होंने अभी जो पूरक प्रश्न किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि नोटिस देने के बाद वर्तमान में उच्च न्यायालय बिलासपुर में ये प्रकरण है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रकरण का जल्दी फैसला आ जाये। ताकि उसका तत्काल उपयोग एफिलेशन का, होटल प्रबंधन चालू करने का, वहां शेष जगह काफी है, उसके उपयोग का, भर्तियों में जो गलती की गई है उसका, इन सारे बिन्दुओं पर हम कार्यवाही करेंगे, न्यायालय से फैसला भर आ जाये।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय ने जो स्टे दिया है, वह मान्यता प्राप्त करने के लिए नहीं दिया है, उच्च न्यायालय ने इस इन्स्टीट्यूट को चालू नहीं करो, ऐसा स्टे नहीं दिया है। वह स्टे जिससे संबंधित है, उसका आप पालन करें। 24 करोड़ रूपया खर्च हो गया है, 13 साल चले गये, एक बच्चा शिक्षित नहीं हुआ है। अब आप हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, ये दुखद होगा। मेरा ये कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला जल्दी कराने की कोशिश करें। पर इस इन्स्टीटयूट को जल्दी चालू करने के लिए पहले तो इसमें कैथरिंग लैब, मैनेजमेन्ट लैब बनवा दीजिए। इन्स्टीट्यूट का जो रिकॉग्निशन नोएडा से होता है, उसका आवेदन कर दीजिए। कृपया हाईकोर्ट के लिए मत रूकिये। मेरा प्रश्न यह है कि क्या बिना हाईकोर्ट के फैसले के रूके आप इस इन्स्टीट्यूट को चालू करायेंगे?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एफिलेशन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। पर जिसको प्रिन्सिपल रखा गया था, कर्मचारी रखा गया था, वही कोर्ट में गये हैं, एफिलेशन मिलने के बाद मैं नया प्रिन्सिपल, नया कर्मचारी नियुक्त कर नहीं सकता, क्योंकि वह कहेंगे कि अभी तो हम यहां पदस्थ हैं।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

श्री अजीत जोगी :- कोर्ट के लिए मत रूकिये न। नया प्राचार्य, नया जो भी होगा, हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार लगा देना। अगर इन्हीं को लगाना है तो इनको लगाना।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बेहतर होगा, जरूर करना चाहूंगा।

श्री अजीत जोगी :- आप इन्स्टीट्यूट के रिकॉग्निशन की कार्यवाही करिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

कोरबा जिला में सड़क हेतु मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत राशि

11. (*क्र. 494) **श्री ननकीराम कंवर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में सड़क मरम्मत हेतु कहां-कहां किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं श्यांग-बरपाली- कुदमुरा रोड कब पूरी हुई थी, कब शुरू हुई थी और उसमें कितना डामरीकरण के लिए बाकी है ?

अध्यक्ष महोदय :- श्यांग और कुदमुरा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी की पूरी लिस्ट दे दिया हूं, यह 15-20 पृष्ठ का है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये जानकारी दी है श्यांग-बरपाली-कुदमुरा रोड में इतने किलोमीटर में डामरीकरण किया गया है। पूरा तो डामरीकरण किया ही नहीं गया है। वह पूरा हुआ ही नहीं है। उसमें 1, 2 किलोमीटर में डामरीकरण करेंगे, रोड पूरी नहीं हुई, आप यह बतला दीजिए कि पूरा कब तक कर देंगे ? यह भी बतला दीजिए कि कब शुरू हुआ, कितने बार टेन्डर हुआ ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- कौन सी सड़क है, आप बताईये, मैं देखकर अभी बता देता हूं।

श्री ननकीराम कंवर :- आप परिशिष्ट में देख लीजिए न।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप यह नहीं बताये कि कौन सी सड़क है ? इसमें 50 सड़क है।

श्री ननकीराम कंवर :- परिशिष्ट -तीन में है।

अध्यक्ष महोदय :- कुदमुरा-बरपाली-श्यांग मार्ग कि.मी. 2 एवं 3, स्वीकृत राशि 70 लाख है, काम पूरा नहीं हुआ है। यही वाला आप पूछ रहे हैं ?

श्री ननकीराम कंवर :- जी।

अप्रकाशित/अप्रकाशन के लिए

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी फाईल अधिकारी दे देते हैं, वह पढ़ें या जवाब दें, मंत्री के लिए दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने तो बता दिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- उनके लिए दिक्कत आ रही है, उसको क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने बता दिया कि 70 लाख स्वीकृत है, कार्य पूरा नहीं हुआ है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिक्कत की बात नहीं है, उनने जो पूछा है, वह जानकारी दी गई है। व्यक्तिगत एक सड़क का है तो क्रमांक 1, 9 या 11 में है वह खोजना तो पडेगा न।

अध्यक्ष महोदय :- जी। चलिये कोई आपका पूरक प्रश्न है।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसीलिए बोला कि इतनी फाईल दे दिये हैं कि आपको दिक्कत हो रही है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- उतना प्रश्न वह न करें, एक का किया करें। वह सप्लीमेन्ट्री में एक का पूछ रहे हैं न।

अध्यक्ष महोदय :- कंवर साहब, आपका और कोई पूरक प्रश्न हो तो बताईये। आप सीनियर आदमी हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- आप यह बता दीजिए कि अगर कोई सड़क पूरी नहीं हुई है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मरम्मत कार्य, नवीनीकरण कार्य, जीर्णोद्धार कार्य जो होता है, जहां खराब होता है, उसी के लिए किया जाता है, उस सड़क की लंबाई अगर 25 किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर के लिए नहीं किया जाता। तो क्रमांक 9, 10, 11 में जो बताया गया है, उसमें जो स्वीकृत राशि है, 80 लाख, 80 लाख, 54 लाख, ये भी है, कार्य पूर्ण भी है। जितना खराब था, उसको भी बता दिया गया है कि श्यांग-बरपाली-कुदमुरा मार्ग के किलोमीटर 11 से 15। उसी के अनुसार उसी सड़क में किलोमीटर 16 से 20 और उसके बाद 1 से 3 यहां-यहां जो खराब था उसका निर्माण हमने कराया है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैं कंवर जी की चिंता को समझ रहा हूं। कोरबा की सभी सड़कें खराब हैं, वहां सब तरफ ट्रकें चल रही हैं । यदि प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब सड़कें कहीं पर हैं तो वह कोरबा है तो उसका आप अलग से परीक्षण कर लें और जल्दी से जल्दी मरम्मत करा दें, उनका बस यही कहना है ।

श्री अजीत जोगी :- पूरा कोरबा लोकसभा क्षेत्र का उसमें मरवाही भी आ जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, अभी तो कोरबा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चाम्पा से कोरबा सबसे ज्यादा खराब है ।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- हां, चाम्पा से कोरबा ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि पहले तो आप यह बता दीजिये कि सड़क तो पूरी हुई ही नहीं है और मरम्मत कहां से आ गया ? पहले उसे पूरा कीजिये । दूसरी बात आपने चाम्पा-कोरबा रोड का तो दिया ही नहीं है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा अभी स्वीकृति हुई थी और उसमें एक पानी गिरा उसके बाद उससे ज्यादा दुर्दशा हो गयी तो आप काम क्या करवा रहे हैं ? इसका मतलब माननीय मंत्री जी आप विभाग में कंट्रोल कीजिये मेरा इतना ही निवेदन है और जितना भी आपने दिया है उसमें कहीं भी मरम्मत हुआ है फिर आगे उससे ज्यादा खराब तो पूरा मरम्मत करवा दीजिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी का परिणाम तो हम लोग भुगत रहे हैं कि विभाग में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था । वरना यह दशा नहीं होती और यहां चारों तरफ 15 साल में चकाचक गाल जैसी चिकनी सड़क होती, हमको भुगतना नहीं पड़ता लेकिन अब हम लोग काम शुरू कर दिये हैं । (मेजों की थपथपाहट) (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- आगे-आगे देखते जाईए कि क्या होता है ? (हंसी) आप यह बता दीजिये कि क्या सड़क के कारण एक भी अधिकारी को आपने टॉर्चर किया है, सस्पेण्ड किया है ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- हम लोग 15 साल में पूरा काम कर देंगे । (व्यवधान)

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री ने केवल सोशल मीडिया में सड़क का निर्माण किया । (व्यवधान)

श्री ननकीराम कंवर :- मैं पूरा विभाग चलाया हूं, एक भी मंत्री चला दे तो इस्तीफा दे दूंगा । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री सोशल मीडिया में जापान की सड़क दिखाते थे ।

श्री ननकीराम कंवर :- गृह विभाग में एकाध में भी इतने सालों में कुछ में कमी आयी हो तो बता दें ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तें हा तो 15 साल चलाये हस, अब 15 साल हमन चलाबो ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 15 साल का गुण्डरदेही विधानसभा जहां गिट्टी के ऊपर घास उगी हो ये 15 साल इनके विकास की रैली है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चाम्पा-कोरबा मार्ग का संधारण कार्य प्रगति पर है । बिलासपुर-पाली, कटघोरा मार्ग को अभी फिलहाल पैंच

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रिपेयर किया गया है । एक जगह नहीं हो पाया है, चाम्पा-कोरबा में लेंको के पास, कटघोरा शहरी भाग और पाली शहर में जल निकासी नहीं होने के कारण थोड़ी समस्या है । हम लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं । रही मरम्मत वाली बात तो सभी सदस्य हैं । पूरे प्रदेश की सड़कें एक-दूसरे विधानसभा से जुड़कर आगे बढ़ती है । हम सभी विद्वान सदस्यों से आगे आग्रह करेंगे कि आप अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत खराब अर्थात् जिसमें आवागमन ज्यादा होता है और तत्काल मरम्मत की जरूरत है तो जरूर जानकारी दें। हम लोग मरम्मत उसमें शुरू करायेंगे और दीपावली के बाद जो सामान्य तौर पर गड्ढ़ा फिलअप करने का कार्य विभाग करता है तो वह पूरे प्रदेश की सभी सड़कों में शुरू करायेंगे । वर्तमान ज्यादा आवश्यक है तो जरूर जानकारी दीजियेगा, जरूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उनकी चिंता चाम्पा से कोरबा पर है, उस पर जरूर ध्यान दीजियेगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जी ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो चाम्पा का नाम ही नहीं लिया ।

अध्यक्ष महोदय :- लिया है । (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से बार-बार खाली चाम्पा। आप पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं । आप सबके लिये बोलिये । (हंसी) आप केवल चाम्पा से कोरबा । लगता है कि रोज वहीं जाना होता है । (हंसी)

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- चौबे जी, वास्तव में खराब है और अध्यक्ष जी की चिंता से हम लोग अपने आपको समाहित करते हैं ।

श्री अजीत जोगी :- हां, चाम्पा का बहुत ही खराब है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि हाईवे में काम चल रहा है जबकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है । लेण्ड एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल नाप किये हैं तो इसका मतलब है कि आप सड़क को छोड़ दीजिये ऐसा तो नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- का पूछतस कुछ समझे में नइ आए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी उन्होंने सवाल किया है न । पहले उनका जवाब आ जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी तो बैठे हैं न, वे जवाब नहीं दे रहे हैं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तें हा का पूछत हस तेला तो बता दे समझे में नइ आत हे ओकरो न हमरो मन के ।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं आदिवासी होने के कारण नहीं समझा पा रहा हूं वह अलग बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं ऐसा नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ऐमा आदिवासी के का बात है भैया ?

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष जी, मैंने तो यह बतलाया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अतेक साल ले विधायक हस, तैं सीनियर हस । तैं वरिष्ठ नेता हस, तोला छोड़के एमन मुख्यमंत्री दूसरा ला बना दिन ।

श्री ननकीराम कंवर :- इसीलिए तो आपकी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमन मंत्री के नियंत्रण के बात करत रहे हस, तैं गृहमंत्री रेहेस तोर यहां अइएन कौन अधिकारी रिहिस, जो तोर नियंत्रण मा रहिए ओखर नाम तैं बता दे ?

श्री ननकीराम कंवर :- अरे, मेरे नियंत्रण में तो सब ठीक हुआ था साहब । मध्यप्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जिस भी विभाग में आया, आज कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका है, आपका बतला दूं । मैंने पूरे देश में पीडीएस को ठीक किया, किसी दूसरे प्रदेश ने पीडीएस को ठीक नहीं किया । आप क्या बात करेंगे । कोई भी प्रदेश में गृह विभाग में अपराध में कमी नहीं आई । जब तक आप आप कमीशनखोरी करेंगे ना, तब तक विभाग ठीक नहीं हो सकता ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहिली बोलत रिहिस, मैं मंत्री हौं अउ मोर कोई सुनय नहीं ।

श्री नारायण चंदेल :- विषय को पटरी पर ले आइए, इधर उधर जा रहा है । विषय पर आ जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय शिव डहरिया जी, ननकीराम जी के नियंत्रण की बात कर रहे हैं । मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं उनके विभाग में उनका नियंत्रण नहीं है, गांधी जी का नियंत्रण है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तो गांधी जी ला प्रणाम करे कर । बिना गांधी जी के काम नइ चलए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- गांधी का नियंत्रण है, गांधी जी का ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गांधी जी का नियंत्रण पूरे हिंदुस्तान और पूरे विदेशों में भी हवय और सुबह शाम उठकर गांधी जी ला प्रणाम करे कर ।

प्रश्न संख्या : 12 XX XX

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एशियन डेव्हलपमेंट बैंक फेस-1 में स्वीकृत सड़कें

13. (*क्र. 522) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियन डेव्हलपमेंट बैंक फेस-1 में कितनी सड़कें कितनी राशि की स्वीकृत हुई ? कितनी सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्य एजेंसी नियुक्ति की जा चुकी है और कितने सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति एवं एजेन्सी नियुक्ति करना शेष है ?

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- एशियन डेव्हलपमेंट बैंक फेस-1 के नाम से कोई परियोजना सड़कें स्वीकृत नहीं है. तथापि लोन-3 परियोजना में कुल 25 सड़कों के लिए रूपए 3535.68 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इनमें से कुल 14 सड़कों की एजेंसी नियुक्त की जा चुकी है तथा 11 सड़कों के लिए एजेंसी नियुक्त किया जाना शेष है.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है । इसमें एशियन डेव्हलपमेंट बैंक फेस-1 के नाम से परियोजना में कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं है और लोन-3 परियोजना में कुल 25 सड़कें स्वीकृत हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि इन 25 सड़कों में से धमतरी जिले में कितनी सड़कें हैं और ये कब तक शुरू होंगी ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 25 सड़कों की सूची है । आप कहें तो मैं पढ़ दूं ।

अध्यक्ष महोदय :- धमतरी जिले की बता दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- धमतरी जिले के बाद जो सरहद है उसके कारण अलग-अलग हो जाएगा । मैं 25 सड़कों का नाम बता देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नाम मत पढ़िये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- टिकरापार-सेजबहार-सेमरापार-भखारा-धमतरी मार्ग, छुरा-राजिम मार्ग व्हाया तरीघाट, पाण्डुका-जतेमाई घटारानी-गायडबरी-मढेली-मुड़ागांव मार्ग ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये तो परिशिष्ट में है । माननीय ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी को पढ़ लेने दीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्नकर्ता के प्रश्न के उत्तर तो आवन दे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जो माननीय सदस्य ने पूछा है, मंत्री जी उसका नाम ही तो बता रहे हैं, उन्हें पढ़ने तो दीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तैं नया विधायक ला मौका नइ देना चाहत हस ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सदस्या नई हैं ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओखर जवाब तो आन दे ।

श्री मोहन मरकाम :- नये विधायक को दबाने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बहुत छोटा सा प्रश्न है ।

श्री मोहन मरकाम :- नये विधायक का सम्मान होना चाहिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उन्होंने पूछा है, उनका जवाब तो आ जाने दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज बैठिये ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- पहले मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो हो जाए । अभी उनका प्रश्न ही नहीं हुआ ।

श्री देवेन्द्र यादव :- प्रथम बार निर्वाचित विधायक को संरक्षण देना आपका कर्तव्य है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी बैठ जाइए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री जी जवाब देना नहीं चाहते हैं तो हम प्रश्न लगाना बंद कर देंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, हमारे सारे मंत्री पूरा जवाब दे रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जिन्हें जवाब देना है वे मंत्री जी बैठे हैं और जिन्हें जवाब नहीं देना है वे खड़े हैं । ऐसे ही चलेगा क्या ? ऐसे ही सदन को चलाएंगे ? (व्यवधान) अमरजीत जी आप विधायक नहीं हो, अब आप मंत्री बन गए हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- हर प्रश्न में चंद्राकर जी खड़े होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष इन्हीं को बना दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- रंजना जी का प्रश्न है, धमतरी जिले की सड़कें, ऐसी सड़कें जो धमतरी से पार होती हैं उनके नाम गिना दीजिए ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष जी, चूंकि यह प्रश्न धमतरी जिले का है और माननीय अजय चन्द्राकर जी भी धमतरी जिले से हैं तो उनका प्रश्न बनता है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- पहले उत्तर तो आने दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- पूरक प्रश्न का प्रावधान है अध्यक्ष जी । माननीय अजय चन्द्राकर जी हर प्रश्न में खड़े हो जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाइए मंत्री जी, प्लीज । आप भी धमतरी जिले से पूछ रह हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी । इसमें जो परिशिष्ट में है मैं उसी में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- पूछिये ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- ओला प्रश्न अधिकृत कर दिए हे का ?

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर देने दीजिये। आप लोग बैठ जाईये न।

श्री बृहस्पत सिंह :- पहले माननीय मंत्री का जवाब तो आ जाने दीजिये। मंत्री जी का जवाब आ जाये उसके बाद प्रश्न पूछे।

श्री अमरजीत भगत :- पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाये उसके बाद पूरक प्रश्न आने का प्रावधान है। माननीय अजय चन्द्राकर जी, हर प्रश्न में खड़े हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठ जाईये। प्लीज। आप भी धमतरी जिले का ही प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जी। इसमें जो परिशिष्ट में है, मैं उसी में ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप देखेंगे तो प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। कालम क्रमांक- 1,2,3,4,5,6 में प्रशासकीय स्वीकृति पिछले वर्ष के बजट वर्ष 2018-19 की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये पिछले वर्ष सरकार में आये तो जो दो वर्ष पूरे होने वाले थे, जिनको उस वर्ष में प्रशासकीय स्वीकृति मिल जानी थी, उसको प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली तो बहुत से काम बजट से लेप्स हो गए। वर्ष 2017-18 प्रशासकीय स्वीकृति अभी इस वर्ष नहीं दी जायेगी, तो वे दो वर्ष पूरे होने के कारण बजट से लेप्स हो जायेंगे। तो मेरा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या इसकी समय-सीमा के अंदर उसकी प्रशासकीय स्वीकृति 2018-19 की, उसकी प्रदान करेंगे क्या ? जो आपने 2018-19 के बताये हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो जानकारी दिया हूँ, उसमें मैं बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा हूँ कि जो हो चुका है, उसकी एजेंसी तय हो गई है, वह भी लिख दिया हूँ और टीप कालम में बाकी सब निविदा प्रक्रिया में है, यह स्पष्ट तौर पर लिखा हूँ, उसकी को बता रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं। आप इसमें देखियेगा, सड़क कार्य में ...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। माननीय चन्द्राकर जी, आप एक मिनट बताये कि परिशिष्ट कहां पर है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नोत्तरी में।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नोत्तरी का परिशिष्ट कहां पर है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नोत्तरी में जो परिशिष्ट है, 16 जुलाई, 2019 ए-66, मैं ए-66 पढ़ रहा हूँ। उसके बाद ए-67 है। इसमें वर्ष 2018-19 के ..।

अध्यक्ष महोदय :- वह अलग प्रश्न का है। यह प्रश्न क्रमांक-13 है। आपका अलग परिशिष्ट है, उनका प्रश्न क्रमांक-13 है। आगे अच्छा प्रश्न आ रहा है। प्रश्न- 14 धर्मजीत का आने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-13 का ही परिशिष्ट है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये न, बाद में पूछ लीजियेगा। प्रश्न-14.

बिलासपुर नगरीय क्षेत्र में भूमिगत सीवरेज परियोजना के कार्य की स्थिति

14. (*क्र. 665) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर नगरीय क्षेत्र में भूमिगत सीवरेज परियोजना की स्वीकृति कब मिली, कब काम शुरू किया गया, परियोजना की लागत क्या थी ? (ख) कंडिका "क" की परियोजना कब तक पूरी की जानी थी, 20 जून, 2019 की स्थिति में कितना कार्य पूरा किया गया, कितना शेष है, कब तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है ? (ग) क्या कंडिका "क" की परियोजना की लागत में वृद्धि हुई ? यदि हां, तो कितनी क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर नगरीय क्षेत्र में भूमिगत सीवरेज परियोजना हेतु वर्ष 2007-08 में स्वीकृति दी गई थी. सीवरेज पाईप लाईन विस्तार कार्य एवं सीवरेज पंपिंग स्टेशन निर्माण कार्य दिनांक 17-11-2008 को तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट निर्माण कार्य दिनांक 19-06-2009 को प्रारंभ किया गया. परियोजना की लागत राशि रु. 190.25 करोड़ थी. (ख) कंडिका "क" की परियोजना दिनांक 05-10-2010 तक पूरी की जानी थी. 20 जून 2019 की स्थिति में किये गये कार्य, एवं शेष कार्य का विवरण प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. शेष कार्य दिसंबर 2019 तक पूर्ण किया जाना संभावित है. (ग) जी हां, परियोजना की लागत में राशि रु. 112.69 करोड़ की वृद्धि हुई है. वृद्धि का कारण प्रपत्र "ब" में † संलग्न है. उपरोक्त वृद्धि परिस्थिति जन्य कारणों से होने के कारण जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना संभव नहीं है.

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में सीवरेज की परियोजना बहुत दिनों से चल रही है। मंत्री जी ही ने बताया है कि 2007-08 में परियोजना स्वीकृत हुई और 2008 में कार्य प्रारंभ हुआ है। 190 करोड़ रूपये की लागत, 320 करोड़ के आसपास यह लागत पहुंच चुका है। इसमें अभी तक पूरा काम भी नहीं हुआ है। मंत्री जी, आपने जो काम नहीं होने का कारण बताया है, उसमें इन्होंने बताया है कि जो डी0पी0आर0 बना है, उससे अलग हटकर आपके इंजीनियर और अधिकारियों ने काम किया है। अगर डी0पी0आर0 यहां से वहां तक सड़क बनाने का कहा तो आपके इंजीनियर लोगों ने यहां से वहां तक (ज्यादा) सड़क बना दिया। मतलब मनमर्जी काम किया। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान में सीवरेज का जो पम्पिंग स्टेशन है, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का परीक्षण हो गया है क्या ? अभी वहां ठेकेदार काम कर रहा है क्या ? अभी कितना काम बाकी है, कब तक करेंगे, आप मुझे यह बता दीजिये ? ये काम करेंगे या नहीं करेंगे ? पूरी बिलासपुर की जनता परेशान है, गाड़िया अंदर घुस रही है, लोग मर रहे हैं और हा-हाकार मचा हुआ है। आपके अधिकारियों द्वारा जो गलत-सलत जानकारी बनाकर भेजा गया है, वह आप हमको बता रहे हैं। आप एक दिन बिलासपुर चलिये न।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- बिलकुल, आपके साथ एक दिन बिलासपुर चलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको दिखवायेंगे। लोग कैसे प्रसन्न हैं ?

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- बिलासपुर एक दिन चलेंगे और आपके साथ बैठकर...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- लिख लीजिये न, एक प्रश्न यह है। वहां पर काम इसलिए नहीं हो रहा है कि नगर निगम में जो सब इंजीनियर था, वहां का अभी चीफ इंजीनियर है। 24 साल से वही पर बैठा हुए हैं और उन सबको राजनीतिक सरंक्षण प्राप्त है। आप यह काम कराने के पहले यह सुनिश्चित करेंगे क्या कि वहां पर जो भी 5 साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारी हैं, जो बड़े-बड़े Key पोस्ट पर बड़े-बड़े इंजीनियर, अस्टिंट इंजीनियर और सुपरीटेन्डेंट इंजीनियर हैं, उन सबको आप बिलासपुर से बाहर करेंगे क्या, यह बताईये ? यह काम का ठेकेदार काम कर रहा है या नहीं, यह बता दीजये और कब तक पूरा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप एक प्रश्न कर रहे हैं या तीन प्रश्न कर रहे हैं ?

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी तीन प्रश्न किए हैं। एक-एक करके बतावत हव।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, एक-एक करके बताईये।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- चार प्रश्न पूछ डारे हे, पहिली के जवाब दे डारे हावव।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिये, आप बता दीजिये, एक को बता सकते हो।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 15 साल से व्यवस्था खराब थी, यह काम 2007-08 से चालू है, 03 साल में पूरा हो जाना था, 2010 तक काम पूरा हो जाना था। लेकिन उसके बाद भी आज 9 साल तक काम चल ही रहा है। जो व्यवस्था 15 सालों से खराब है, उसको हम बिल्कुल दुरूस्त करेंगे, मैं माननीय सदस्य की पूरी मंशा से अवगत हूं और मैं चाहता हूं कि वहां ठीक काम हो ।

अध्यक्ष महोदय :- मंशा से नहीं, भावना ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जी । भावना से भी मैं सहमत हूं और निश्चित रूप से जिस तरह से काम हुआ है, वह सीवरेज परियोजना जो है, वह बहुत सीक स्थिति में है और उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं । पिछले कार्यकाल में तो पूरे बिलासपुर को घुरूवा बनाकर रख दिया था । मैं आपको बता रहा हूं, अब उस घुरूवा को पाटकर ठीक करने का काम हम लोगों का है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- घुरूवा तो आपकी कार्य योजना में है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, ये बिलासपुर की बात नहीं है, जो सरकार बैठी हुई है, उसको भावना पूरे प्रदेश को घुरूवा बनाने की है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- घुरूवा में जो जिन्दगी है, उसको साफ करने की मंशा है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- पूरे प्रदेश में घुरूवा बनेगा ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- ये योजना तो भारतीय जनता पार्टी के समय का है, घुरूवा भाजपा के समय का है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाईए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, जवाब आने दीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की मंशा ये है कि इस प्रदेश को 15 सालों में जो घुरूवा बनाकर रखा था, उस घुरूवा की सफाई करने की है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ जवाब तो दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी बताईए और जवाब दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जवाब में और कुछ बोल रहे हैं कि मैं पूछूं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप पूछिए न भैया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप ये बताइए कि अभी वहां वर्तमान में काम चल रहा है या नहीं, उसका ठेकेदार कौन है ? वहां जो 15 सालों से गड़बड़ी की गई है, उनको सबको आप वहां से तत्काल अभी ट्रांसफर के समय में उनका ट्रांसफर करेंगे क्या ? चाहे वह सुपरीटेंडेंट इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो, सबको वहां से हटाईए । इन्हीं लोगों के कारण तो वह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और पूरे शहर के लोग तबाह हो रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- समय देखते हुए बात करिए न, समय-समय की बात है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है, शेष 80-85 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है । जो भूमिगत नाले का काम है, वह थोड़ा सा बचा है, उसको भी पूर्ण करेंगे और दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करेंगे और जो भी अधिकारी उसमें गलत काम किये होंगे, उसको दिखवा लेंगे और उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे और बिलासपुर आकर आपसे चर्चा भी करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मुझे तो आप एक बात और बता दो कि जो अधिकारी वहां 25 सालों से कुंडली मारकर बैठे हैं, जैसे आज चन्द्रग्रहण होना है, इस योजना को ग्रहण लगाये हैं तो उनको बिलासपुर से मुक्त कराओगे क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- निश्चित रूप से ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उनकी अवधि देख लो, 5 सालों से जो ज्यादा है, उन सबको वहां से हटा दो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- निश्चित रूप से ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तभी वह योजना वहां सफल होगी, नहीं तो सारी योजना दम तोड़ देगी ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने कह दिया है कि निश्चित रूप से हटाएंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से।

श्री धर्मजीत सिंह :- और आप बिलासपुर आएंगे तो हम आपसे चर्चा करके बता देंगे कि ये योजना पूरी क्यों नहीं हो रही है, उसको देख लीजिए कि कैसे होगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- निश्चित रूप से ।

अध्यक्ष महोदय :- शैलेष पाण्डेय जी ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने पिछली बार इस योजना के लिए आधे घंटे का समय दिया था, उसके लिए आपका आभारी था।

अध्यक्ष महोदय :- समय देखते हुए प्रश्न करें ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- जी । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने अगले दिन बैठक ली थी, उसमें अधिकारियों ने कहा था कि केवल दो प्रतिशत काम बचा हुआ है और आज कम से कम 15 प्रतिशत काम अभी भी बचा हुआ है तो उस वक्त अधिकारियों ने आपको असत्य जानकारी दी थी । आज वे 15 प्रतिशत काम बचा हुआ बता रहे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, 82 परसेंट काम पूर्ण हो चुका है ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- लेकिन उस वक्त मीटिंग में 2 परसेंट काम बचा हुआ बताया था ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दो परसेंट नहीं बताया है ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात ठेकेदार भाग गया है, ये चिन्ता का विषय है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप बोल रहे हैं कि काम हो रहा है और वहां के विधायक बता रहे हैं कि ठेकेदार भाग गया है । अभी वहां सन् 2020 तक काम नहीं हो सकता ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार भागा नहीं है, कहां भागकर जायेगा, हम उसको पकड़कर लाएंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कहां लाएंगे, वह कलकत्ता में रहता है । आपको उसका पता तक नहीं मालूम है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने गलत काम किया, उनको जनता ने खुद ही हटा दिया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- उन्होंने गलत किया, पर अब आप सही करो । उन्होंने गलत किया तो आप भी वैसे ही करोगे क्या, आप तो सही करो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उनको हम ठीक करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अधिकारियों का मोह छोड़िए, जब तक उनको वहां से नहीं हटाएंगे, आप 100 करोड़ की योजना भी भेजोगे तो वह योजना बिलासपुर में सफल नहीं होगी क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं और वे अपनी मनमर्जी रिपोर्ट देते हैं, अपनी मनमर्जी काम करते हैं, सब चकाचक लाल हैं, आगे आप समझ लो ।

श्री अजीत जोगी :- मंत्री जी, इसको गंभीरता से लीजिए । इसमें बिलासपुर बरबाद हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- पाण्डेय जी, आप सीधे-सीधे सवाल करिए ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, 36 मेन होल और 53 प्रापर्टी चैम्बर खोदकर वह भाग गया है, करीब-करीब सवा सौ गड्डे पूरे शहर में हैं और पूरे गड्डे में पानी भर गया है, लोग उसमें मर सकते हैं । मैं आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूं कि सीवरेज परियोजना में वहां पर बहुत लापरवाही हो रही है और पुरानी सरकार का जो ठेकेदार था, वह भाग गया है । अब हमारी सरकार के सामने संकट आ गया है । (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पाण्डेय जी, हमारी सरकार के ऊपर संकट नहीं आया है ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय मंत्री जी, जब बैठक हुई थी तो बैठक में चर्चा हुई थी कि वे लोग टेस्टिंग करके देंगे, लेकिन उसके बावजूद आजतक अधिकारियों ने टेस्टिंग नहीं करवाई है ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- अब उसकी टैस्टिंग कौन करेगा ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय मंत्री महोदय जी जब बैठक हुई थी, तब बैठक में चर्चा हुई थी कि वह लोग टेस्टिंग करके देंगे, लेकिन उसके बावजूद आज तक अधिकारियों ने टेस्टिंग नहीं कराई है ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- टेस्टिंग कौन करेगा ? ...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, बैठक में क्या हुआ, उससे जनता को कोई मतलब नहीं है । जनता को काम चाहिये या ...(व्यवधान) हम दोनों में राजी है ।

श्री दलेश्वर साहू :- मेरे यहां भी दो साल से सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ...(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी :- बिलासपुर जिले....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न से आपका प्रश्न उदभुत नहीं होता । आप बैठ जायें, बाद में पूछ लेना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खैरागढ़ स्थित रुखड़ स्वामी मंदिर के ट्रस्ट का गठन

15. (*क्र. 733) **श्री देवव्रत सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ नगर में स्थित रुखड़ स्वामी मंदिर में राज्य शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा शासकीय ट्रस्ट का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कब एवं उक्त ट्रस्ट का निर्माण एवं पंजीयन किन-किन व्यक्तियों द्वारा किया गया तथा उक्त ट्रस्ट का सर्वाकार कौन हैं ? (ख) रुखड़ स्वामी मंदिर खैरागढ़ की भूमि तथा रुखड़ स्वामी ट्रस्ट में अन्य भूमि की खसरावार मालिकाना हक की जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) कलेक्टर राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार:—(क) जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ नगर में स्थित श्री रुखड़ स्वामी मंदिर में राज्य शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा शासकीय ट्रस्ट का निर्माण नहीं किया गया है. (ख) श्री रुखड़ स्वामी मंदिर खैरागढ़ की भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :—

1. नगर खैरागढ़ मेन्टनेंस खसरा वर्ष 2019 के अनुसार नगर खैरागढ़ ब्लाक नं. 4 राजफेमली प्लाट नं. 41 क्षेत्रफल 5375 वर्गफूट मंदिर रुखड़ स्वामी के नाम पर तथा श्री रविन्द्र बहादुर सिंह आ. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह अटार्नी देवव्रत सिंह आ. रविन्द्र बहादुर सिंह, भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज है.

2. नगर खैरागढ़ मेन्टेनेंस खसरा वर्ष 1999-2000 के अनुसार नगर खैरागढ़ ब्लाक नं. 5 लालपुर प्लाट नं. 1 क्षेत्रफल 115345 वर्गफुट कृषि भूमि श्री रूक्खड़ स्वामी सर्वराकार महंत भुवनगिरी के नाम पर दर्ज है.

3. वर्ष 2018-19 के बी-1 अनुसार ग्राम खैरागढ़ प.ह.नं. 31 तहसील खैरागढ़ में खाता क्र. 669 खसरा नं. 28 रकबा 1,3380 हे. भूमि श्री रूखड़ स्वामी मंदिर भूमि स्वामी कृषि के रूप में दर्ज है तथा बी-1 के कालम नं. 23 में मंदिर सर्वराकार कलेक्टर राजनांदगांव दर्ज है.

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो रूक्खड़ स्वामी मंदिर है, लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है, पूरे विश्व में दो जगह शंकर जी की प्रतिमा है, शिवलिंग है, जो राख से बने हुये हैं । आज भी दक्षिण से, श्रीलंका से लोग वहां शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं । इस मंदिर में आज भी जो हमारे परिवार ने 8 से 10 करोड़ की संपत्ति निहित की थी, आज भी लगभग 120 एकड़ जमीन में खेती होती है । कुछ लोगों ने निजी ट्रस्ट बनाकर उस पर कब्जा कर लिया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की भावना यह थी कि हम इस मंदिर के पूरे संपत्ति को एक सरकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित करना चाहते हैं । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इसका पूरा परीक्षण कराकर, प्रतिवर्ष 28 से 30 लाख यहां से इंकम होती है, 12 से 15 करोड़ की संपत्ति उस ट्रस्ट में है, चूंकि हम लोगों ने इस संपत्ति को दान किया है, मैं चाहता हूँ कि सरकारी ट्रस्ट बनाये । क्या माननीय मंत्री जी इस पूरे ट्रस्ट का परीक्षण कराकर इसको सरकारी ट्रस्ट बनाने की घोषणा करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है । अभी तक सरकार का धर्मस्व तथा धार्मिक न्यास जो विभाग है, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था । मूलत: धर्मस्व में प्रदेश के अंदर जितने मंदिर है, जहां मेला स्थल है, जहां यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनको चिन्हांकित होना चाहिये । धार्मिक न्यास का मतलब है, जितनी भी समितियां है, ट्रस्ट है, निजी बनाये हैं, क्या है, सैकड़ो एकड़ दानदाता दान देते हैं, उसका दुरूपयोग ट्रस्ट बनाकर

करते हैं, अब तक सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी, न कुछ नहीं । मैं इस विभाग को संभालने के बाद पूरे प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को और जिला पंचायत के सी.ई.ओ. को पत्र लिखा कि आपके जिले में कलेक्टरों को पटवारी के माध्यम से, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. को कि आप सचिव पंचायत के माध्यम से जिन-जिन जगहों पर मंदिर है, जहां पर बारहमासी लोग आते हैं, मेला लगता है, किस स्तर का है, ऐतिहासिक है, जानकारियों के लिए लगातार हम लोगों ने कहा । नहीं आया तो चीफ सेक्रेटरी से कहा । अभी लगभग 11 सौ जगहों की जानकारी आ चुकी है । शेष जानकारी भी आ जायेगी । मैं स्वयं चाहता हूँ, जो माननीय देवव्रत जी ने जो कहा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा । सभी जिले से जानकारी आ चुकी है, शेष जानकारी भी आ जायेगी । माननीय देवव्रत जी ने जो कहा, मैं स्वयं चाहता हूँ । मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सभी जिले से जानकारी इकटठा करके, उनका आकलन करके हम लोग भी चाहेंगे कि वह अगर सरकारी ट्रस्ट बनाने के लायक है तो सरकारी ट्रस्ट बने । निजी ट्रस्ट है तो उसका संचालन ठीक हो । इस पर हम निगरानी करेंगे । इसका अलग से विभाग बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं । जैसा आप चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर जांच करके, परीक्षण करके उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय मंत्री जी, चूंकि संपत्तियों का सारा डिटेल्स शासन के पास उपलबध है । सहसपुर लोहारा, अकबर भाई के क्षेत्र में भी लगभग 120 एकड़ जमीन वहां है । खैरागढ़ तहसील में लगभग 30-40 एकड़ जमीन है, मेंरा जो निवेदन है, इसकी जो इंकम आ रही है, वह लगातार आ रही है । मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उसको सरकारी ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- इसको तत्काल वहां के कलेक्टर से और विस्तृत जानकारी मंगाकर तत्काल कार्यवाही हम शुरू करायेंगे ।

<u>सिमगा से चिल्फी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 की पूर्णतावधि</u>

16. (*क्र. 675) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिमगा से चिल्फी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 के निर्माण का कार्यादेश कब तथा किस संस्था/फर्म को कुल कितनी राशि का दिया गया था ? अनुबंध के अनुसार कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था ? क्या समयावधि में वृद्धि की गई ? यदि हां, तो क्यों ? (ख) क्या उक्त कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर शासन को हैंडओवर कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? एवं संबंधित फर्म के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त मार्ग के निर्माण में कौन-कौन से कुल कितनी-कितनी मात्रा में गौण खनिज का उपयोग का आंकलन किया गया था एवं उक्त की पूर्ति कहां-कहां से की जानी थी, एवं कितना राजस्व संबंधित द्वारा भुगतान किया गया ? (घ) क्या उक्त मार्ग के निर्माण में अनियमितता एवं गुणवत्ताविहीन होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दी गयी है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दी गयी है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" में दी गयी है. (घ) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "द" में दी गयी है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं सीधा आता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, जब आप खुद लोक सभा के सांसद थे, खुद इस

/प्रकाशन के लिये नहीं

मार्ग की गुणवत्ता में सवाल उठाये थे, आज स्थिति यह है कि 280 करोड़ का यह मार्ग है और हजारों जगह गडढ़े हो चुके हैं । क्या आप इसमें दोषी अधिकारी हैं, उसकी जांच कराकर कड़ी कार्यवाही करेंगे ? संसद में थे, तब आपने खुद यह मामला उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय :- आप यह घड़ी देखते हुये बात करिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जी, जांच करके तत्काल जो दोषी अधिकारी है, उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चंदन कश्यप ।

नारायणपुर-ओरछा सड़क निर्माण की स्वीकृति

17. (*क्र. 643) **श्री चंदन कश्यप :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा नारायणपुर-ओरछा के मध्य सन् 2015 से दिसंबर, 2019 तक सड़क निर्माण के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? कार्यवार स्वीकृत राशि, स्वीकृत वर्ष एवं निविदा आमंत्रण की पूर्ण जानकारी देवें ? उक्त कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा क्या है ? (ख) कंडिका "क" के समस्त स्वीकृत कार्यों को क्या समय-सीमा में पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं तथा कार्य में विलंब के लिये दोषी संबंधित कान्ट्रेक्टर/अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या कार्य में विलंब की वजह से स्वीकृत राशि में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कार्यवार पूर्ण जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. (ग) जी नहीं.

श्री चंदन कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से जानना चाहा था कि ओरछा-नारायणपुर के मध्य जो रोड स्वीकृत हुये थे, कब-कब हुये थे, पूर्ण हुये हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

नहीं
अशोधित/प्रकाशन

समय :
12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आज भी कवासी लखमा जी नहीं आए, कवासी लखमा जी की जगह संसदीय कार्य मंत्री को बोलना पड़ा।

पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हमने मंत्रि मंडल के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव दिया है। जिस तरह से संवैधानिक संस्था और संवैधानिक व्यक्ति ए.जी. के इस्तीफे के बारे में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और अलग-अलग वक्तव्य आये। सदन ये जानना चाहता है कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है? सारे सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में जो आया है उनकी स्थिति यह है कि महाधिवक्ता का कहना यह है कि मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस्तीफा स्वीकृत हो गया है। विधि मंत्री जी का कहना यह है कि उन्होंने काम करने में अनिच्छा व्यक्त की है। एक माननीय मंत्री जी का बयान आया कि महाधिवक्ता नियुक्त करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है जिसके तहत महाधिवक्ता का वह आदेश निकाला गया।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शून्यकाल है और शून्यकाल में सबको अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई बात है तो आपके संज्ञान में लाना चाहिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पाईंट ऑफ आर्डर। क्या आपने चर्चा की अनुमति दे दी है? आप ध्यानाकर्षण कर सकते हैं आपने चर्चा शुरू कर दी। आपने चर्चा की अनुमति दी है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल है, मैंने इसकी नोटिश दी है। जो आदेश निकला है, संविधान के अनुच्छेद 165 खंड क के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री कनक तिवारी, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के स्थान श्री सतीश चन्द्र वर्मा को नियुक्त करता है। आप कांस्टीट्यूशन देख लीजिए, कांस्टीट्यूशन के 165 (A) में।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, क्या आपने चर्चा की अनुमति दी है? आप चर्चा कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, चर्चा मांग रहा हूं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपने चर्चा शुरू कर दी है।

श्री मोहन मरकाम :- शून्यकाल में पेपर लेकर थोड़ी बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको पढ़ नहीं सकते, आपने जो कहा है उसको बता दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और हमारे निन्दा प्रस्ताव का विषय ये है कि राज्यपाल द्वारा 165(1) के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 165(3) में यह व्यवस्था है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त तक होगा और एक संवैधानिक संकट निर्मित हुआ है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में राज्य सरकार ने यह लिखा है कि हम कनक तिवारी के स्थान पर हम श्री सतीश चन्द्र वर्मा की नियुक्ति करते हैं। माननीय विधि मंत्री जी का सार्वजनिक तौर पर स्टेटमेंट आता है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे विषय को सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपका निंदा प्रस्ताव मुझे मिला था, आपका निंदा प्रस्ताव मिल चुका है जिसका मैंने अग्राह्य कर दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति क्या है इसे न सरकार ने स्पष्ट किया, इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उसके तहत संवैधानिक संस्थाओं का अपमान इस तरह देश में पहली बार हुआ है इसलिए हमने निंदा प्रस्ताव का नोटिश दिया है, इस पर चर्चा कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति सामने आनी चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, आखिर सरकार चाहती क्या है? माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, सरकार की तरफ से बयान जा जाए।

अध्यक्ष महोदय :- आप सचेतक हैं बैठ जाईये। मैंने इसे अग्राह्य कर दिया है इसलिए आप उस पर विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग कर सकते हैं। उसके बाद आप जो व्यवस्था देंगे उसे हम मान लेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जो काम नहीं है, वह काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार छत्तीसगढ़ का ए.जी. बना है। आज इनको .....। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ...। (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी....।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी.....।(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, ए.जी द्वारा इनको रिपोर्ट दिया जाता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जायें। बैठ जायें।

श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, ...। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आपके.....।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, इनके समय एडवोकेट छत्तीसगढ़ में बाहर से आते थे.....।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी सुन रहा हूं। आप शांत रहे। अकबर भाई, प्लीज प्लीज। इनका प्वाईंट ऑफ आर्डर पहले सुन लीजिए। उसका जवाब आप दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, नहीं सर मैं जवाब नहीं दूंगा। जो बात अभी इन्होंने उठाई, यह प्रक्रिया के तहत इनका प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं हुआ है तो इस प्रकार का जवाब मुझे नहीं देना है। लेकिन जो वाद-विवाद चल रहा है उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनको अग्राह्य कर दिया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर्स में हम लोग को अपना जो सूचना दिये हैं उनको उठाने का अधिकार है कि नहीं है। इसमें मंत्री जी को हस्तक्षेप करने का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये न। आप सुन तो लीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने उसे अग्राह्य कर दिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- अग्राह्य कर दिया। उसके बाद वह प्वाईंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं। प्वाईंट ऑफ आर्डर को मैं सुन लूंगा, प्वाईट ऑफ आर्डर का जवाब देने के लिए मैंने कहा कि यदि उस पर कुछ कहना हो तो मैं दूंगा ही।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई जवाब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो प्वाईंट ऑफ आर्डर करने दीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय ए.जी. दूसरे राज्यों से एम्पोर्ट होकर आते थे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह बहस थोड़ा पढ़ो लिखो तब समझ में आयेगी। पहले मैं अपनी बात, जब आपने माननीय मोहम्मद अकबर जी को बोलने की अनुमति दी तब मैंने कहा कि प्वाईंट आफ आर्डर है। वह इसलिए उठाया था कि हम शून्यकाल में इस विषय को उठा सकते हैं कि जो हमने नोटिस दी है। आपने निरस्त भी कर दिया तो उसमें हम चर्चा की मांग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अपने तथ्यों को रख सकते हैं और यदि आप हमारे आग्रह पर चर्चा स्वीकृत करते हैं तो माननीय मंत्री जी जो वक्तव्य दें वह हमको स्वीकार होगा। लेकिन प्वाईंट आफ आर्डर यह है कि हम जो बोल रहे हैं वह स्वीकृत हो जाये फिर सरकार की ओर से बयान आये। मैं चाहता हूं कि हम जो तथ्य रख रहे हैं उसको एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। आप जो व्यवस्था देंगे उसको हम मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, मैं चूंकि उसको अस्वीकृत कर चुका हूं। आप उस पर कुछ भी भाषण नहीं दे सकते। आप सांकेतिक रूप से उसे बता सकते हैं। प्वाईंट ऑफ आर्डर के हिसाब से निवेदन कर सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांकेतिक रूप से ही बोल देता हूं। मैं आपसे सांकेतिक रूप से ही आग्रह कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सांकेतिक रूप से आप निवेदन कर सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- जी,जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाईन कहना चाहता हूं। आपने संविधान के उल्लंघन की बात की। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि संविधान के उल्लंघन का विषय विधानसभा का कार्यक्षेत्र नहीं है। यह माननीय उच्च न्यायालय तय करेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह संविधान का उल्लंघन नहीं था। मैं फिर से बोल देता हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा संविधान का उल्लंघन है। यदि उल्लंघन है तो उच्च न्यायालय तक चलेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से बोल देता हूं।

श्री सत्यानारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप इधर बाहर क्यों आ जाते हो। सीट में अंदर घूसिये। (हंसी)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। माननीय विधि मंत्री जी का बयान आया कि उन्होंने अनिच्छा जाहिर की। एक माननीय मंत्री जी का बयान आया कि अधिवक्ता नियुक्त करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जो आदेश निकला कि कनक तिवारी जी के स्थान पर सतीश चंद्रा वर्मा को नाम नहीं लेना चाहिए, फलाने को ए.जी. बनाया गया। जो उन्होंने 165(1) का आदेश किया है, के तहत आदेश किया है 165(1) में ए.जी. की योग्यता बताई गई है। ए.जी. की इस्तीफा ए.जी. की स्वीकृति..।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा प्रारंभ कर दी। क्या आपने चर्चा की अनुमति ली है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ए.जी. की पदस्थापना कब हुई। किसके पास इस्तीफा दिया, यह उस आर्डर में कहीं भी स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्वाईंट ऑफ आर्डर कहां से हुआ। आप प्वाईंट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि क्या आपको ग्राह्य करके चर्चा कराने की अनुमति दी है ? जबर्दस्ती सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने इनको अनुमति दिया है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्वाईट ऑफ आर्डर कहा। यह प्वाईंट ऑफ आर्डर कहां हैं, कैसे है मुझे बता दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह बात कहां से आ गई। आपने कोई ग्राह्य करके चर्चा करने की अनुमति दिया है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने प्वाईट ऑफ आर्डर दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- तो ये प्वाईंट ऑफ ऑर्डर कहां से हुआ ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि क्या आपने ग्राह्य करके चर्चा करने की अनुमति दी है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप प्वाईंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा करने की अनुमति दी है क्या ? एक घण्टे से भाषण दिये जा रहे हैं। बेवजह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर कहा, ये प्वाईंट ऑफ ऑर्डर कहां है, ये मुझे बता दें ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा करने की अनुमति दी है क्या ? नहीं, ये बात कहां से आ गई ? आपने ग्राह्य करके चर्चा कराने की कोई अनुमति दी है ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाईंट ऑफ ऑर्डर...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप प्वाईंट ऑफ ऑर्डर कैसे उठा रहे हैं? प्वाईंट ऑफ ऑर्डर कैसे हो सकता है?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, संवैधानिक पद का मजाक उड़ा दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं प्वाईंट ऑफ ऑर्डर पर पहले बोल चुका हूँ। मैंने ये कहा कि आप स्वीकृत करेंगे तब अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने स्वीकृत नहीं किया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकृत करने का आग्रह कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपका आग्रह..।

श्री मोहम्मद अकबर :- सब कुछ नियमानुसार हुआ है। कोई उल्लंघन नहीं है। आप यहां पर अधूरे दस्तावेजों के आधार पर तथ्य रख रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जांच कर लीजिए। अध्यक्ष जी, आप बहस स्वीकार कर लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप दस्तावेजों के आधार पर बात कहिए। (व्यवधान) आपने जो भी (व्यवधान) लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहस स्वीकार करने का आग्रह है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब नियम अनुसार हुआ है।(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहस स्वीकार करने का आग्रह कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :-एक मिनट। मैं सुन रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राह्य नहीं हुआ है। ये किस नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- कृपया आप सुनिये। आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 165(3) के अनुसार महाअधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त तक होता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किस नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी ..।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें तो राज्यपाल महोदय ने अनुमति दी है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अकबर जी, आप चर्चा स्वीकृत करा लीजिए। आप चर्चा करवा लीजिए। इसमें पूरी बात आ जाएगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कनक तिवारी बोलते हैं कि मैंने इस्तीफा दिया नहीं है। वे कहते हैं कि मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ये संवैधानिक पद का मजाक है...। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार की ओर से आग्रह कर लीजिये। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी,.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आपने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर उठाया।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी के हुकूमनामा से सदन चलेगा?

अध्यक्ष महोदय :- आप एक मिनट सुन तो लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कनक तिवारी जी ने मानसिक रूप से कहा है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। जब इस्तीफा नहीं दिया तो आप स्वीकार क्या करोगे ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसको अग्राह्य किया है और अध्यक्ष की व्यवस्था पर कोई प्वाईंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता। माननीय कौशिक जी आप अपना ध्यानाकर्षण लेंगे? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पर प्वाईंट ऑफ ऑर्डर नहीं मांगा हूँ।... (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक पद का मजाक बना दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पर प्वाईंट ऑफ ऑर्डर नहीं मांगा हूँ... (व्यवधान) । आप मुझे क्षमा कीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का अपमान है, आपकी व्यवस्था आने के बाद....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय कौशिक जी, आप अपना ध्यानाकर्षण लेंगे? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सदन की ओर से चर्चा मांग लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी आप अपना ध्यानाकर्षण लेंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का अपमान है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) ये अनिच्छा जाहिर की है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चर्चा मांग लीजिए। आप चर्चा करवा लीजिए। (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आप चर्चा करवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप चर्चा स्वीकृत कर लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित।

(12.13 बजे से 12.26 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:26 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

<u>पृच्छा</u>

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं। ये सरकार गठित होने के पहले इनने गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिनों के अंदर कर्ज माफ करेंगे। आज पूरे प्रदेश में किसान इस धोखे में कर्ज नहीं पटाये कि सरकार कर्ज माफ करेगी। पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया था।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले यह बता दीजिए कि आप शून्यकाल पर बोल रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय में स्थगन दिया हुआ है। किसान परेशान हैं, लोगों को ऋण नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, किसान ने आत्महत्या कर लिया। स्थिति यह है कि न किसानों को ऋण मिल रहा है, न बिजली मिल रही है। पूरे प्रदेश में पानी की कमी है। किसानों के पास 4 लाख मोटर पंप के कनेक्शन हैं। पर किसान खेती इसलिए नहीं कर पा रहा है कि अघोषित रूप से इतनी बिजली कटौती हो रही है कि खेती नहीं कर पा रहा है। न ऋण मिल रहा है, न बिजली मिल रही है और न ही किसी प्रकार की खाद-बीज की सहायता सरकार की ओर से मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर हमने स्थगन दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस प्रदेश का भूमिपुत्र, अन्नदाता किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा है, वह हमारी खेती और किसानी है। वर्षा भी नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश में अकाल की स्थिति है। जो मानक-खाद बीज उस किसान को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती होने के कारण से किसानों के पंप नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने मिल करके इसमें स्थगन दिया है। कर्ज से परेशान हो करके जशपुर जिले के चराईडाई गांव के मोहन निराला ने आत्महत्या किया है जो इस प्रदेश सरकार के लिए अत्यन्त ही लज्जाजनक है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अशोधित/मुद्रणार्थ के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- आपके शासनकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की ?

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, वह शून्यकाल में बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। मैं आपको भी मौका देता हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन को स्वीकार करके चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय जोगी जी।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं गुण-दोष पर नहीं जाना चाहता कि कितने का कर्ज माफ हुआ है या नहीं हुआ है, पर किसानों के सामने एक संकट है। जिसका कर्ज माफ नहीं हो पाया है, माननीय कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी सुन लें, आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप कोई न कोई ऐसा तरीका निकाल दीजिए कि यदि माफ करने की स्थिति नहीं भी है तो उस किसान को बीज चाहे न दें, खाद कहीं से मिल जाये, इतनी व्यवस्था कर दीजिए तो किसान अपनी खेती कर पायेगा। इसका एक तरीका जरूर निकालना चाहिए, स्थगन स्वीकार हो या न हो, पर किसान की दृष्टि से कम से कम खाद उपलब्ध करा दीजिए।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के लिए और पूरे प्रदेश में इससे विकट परिस्थिति निर्मित नहीं हो सकती जो आज है। किसान सबसे ज्यादा संकट में डूबा हुआ दिख रहा है। दो तरफा मार पड़ रही है, एक तो उनको कर्ज नहीं मिल रहा है, बीज की व्यवस्था नहीं हो रही है। सबसे बड़ा संकट यह है कि लगातार मानसून की असफलता से किसानों को दिक्कत आ रही है, बिजली की जो कमी पूरे प्रदेश में दिख रही है, किसान चारो तरफ से परेशान है। ये विषय आज प्रदेश का सबसे सामयिक है। छत्तीसगढ़ के पूरे किसान, पूरी आबादी विधानसभा की ओर देख रही है कि इस विषय में किस प्रकार के निर्णय होते हैं। खास तौर से कर्जमाफी के जो आंकड़ें दिख रहे हैं और मैं कर्जा माफी के लिये तीनों अलग-अलग बैंकों के आंकड़े देख रहा था राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक 12468 करोड़ में से केवल 62 प्रतिशत कर्जमाफी की स्थिति है मतलब 35 प्रतिशत किसानों की आज भी वही स्थिति है । सबसे बड़ा संकट 1333 सोसायटियों पर है, उनको इंटरेस्ट की राशि जो 01 दिसम्बर से 18 से 30 जुलाई,18 तक समितियों को 25-25 लाख रूपये उनको इंटरेस्ट की राशि है । यह सारी सोसायटियां यदि डिफॉल्टर हो जायेंगी तो आने वाले समय में एक गंभीर संकट छत्तीसगढ़ की ओर नजर आ रहा है । इस पॉलिसी की जब घोषणा हुई है, सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि सभी किसानों के कर्जा माफ होंगे, शॉर्ट टर्म-लांग टर्म और मिड टर्म में जहां कन्वर्सन हुआ है वहां भी कर्जा माफी की बात हुई तो मुझे लगता है कि इस विषय के लिये चूंकि यह गंभीर विषय है और हमारा पूरा सदन इस पर अपने-अपने क्षेत्र की बात को कहना चाहता है तो आज की कार्यवाही को स्थगित करके इसमें आज लंबी चर्चा होनी चाहिए और हम सब इस विषय में डिटेल बात करना चाहते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 महीने में पाप का घड़ा भर गया और छत्तीसगढ़ में इंद्रदेव की कृपा रूठ गई । आज 65 प्रतिशत जो आंकड़े डॉ. साहब ने बताये हैं और जो सोसायटी की स्थिति बतायी वह तो वस्तुत: सही है । अभी मैंने एक माननीय मंत्री जी से कहा कि आप किसी भी व्यावसायिक बैंक में चलिये और केसीसी लिमिट में जो किसानों ने कर्ज लिया है वह माफ हुआ है कि नहीं हुआ है उसको अभी चलकर देख लेते हैं । केसीसी लिमिट के लिये जो आपने बाद में बजट का पैसा दिया वह आज तक केसीसी लिमिट में नहीं पहुंचा और यही समय है जब खेती का काम सबसे पीक में रहता है एक । दूसरा माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, बीज विकास निगम से हम खेती के कार्यक्रम, बीज के कार्यक्रम लेते हैं, एक साल-डेढ़ साल से उनके पैसे अभी तक भुगतान नहीं किये गये हैं जिसके कारण बीज की सप्लाई भी प्रभावित हुई और किसान अब बीज का कार्यक्रम लेने से इस वर्ष कतरा रहे हैं और एक बड़ा षड़यंत्र है कि इस तरह से किसानों को भुगतान न देकर उनके मनोबल को गिराकर बाहर से महंगी बीज छत्तीसगढ़ में मंगवाया जाये यह एक षड़यंत्र हो रहा है । दूसरी बात आज के पेपर में छपा है कि छत्तीसगढ़ का बिजली उत्पादन 4300 मेगावाट जो बताया गया । 4300 मेगावाट से ज्यादा बिजली की मांग पीक ऑवर में है । यदि ऊपर का मानसून नहीं हो रहा है तो जहां सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था है, पंप की व्यवस्था है वहां पर जो लोग कर रहे हैं वहां पर भी बिजली किसानों को नहीं मिल रही है और इन विसंगतियों के चलते हमारे एक जशपुर के किसान ने 7 पत्र लिखकर आत्महत्या की । न बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने में इतना बड़ा संकट आ गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न ऋण की व्यवस्था और न ही मौसम साथ और पूरी तरह से शासकीय विफलता यह किसानों की कमर तोड़ देगी यदि इसमें तत्काल चर्चा नहीं करायी जाये और तत्काल सरकार के द्वारा राहत उपाय की घोषणा नहीं होगी तो इस सदी का सबसे बड़ा संकट छत्तीसगढ़ अकाल के तौर पर झेलने वाला है और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी वरिष्ठतम मंत्री हैं । वे घोषणा पत्र के जननायक हैं । बिजली बिल हाफ लिखा था कि 400 यूनिट लिखा था ? मैं तो कहूंगा कि उनको उत्तर देना चाहिए ऋण माफी कहा था कि अल्पकाल कहा था कि दीर्घकालिक या मध्यमकालिक कहा था ? यह ऐसे विषय हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, संक्षिप्त में करिये । श्री केशव चंद्रा जी । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- आपकी सरकार ने यह कहा था कि 300 रूपये बोनस देंगे, 2100 रूपये समर्थन मूल्य । आपका घोषणा पत्र ही पूरा नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 साल में तो आप पूरा नहीं कर पाये अब यहां बोल रहे हैं । (व्यवधान)

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में वृक्षारोपण में जो इन्होंने घोटाला किया है उसका नतीजा आज हम भोग रहे हैं । इसी कारण से सूखा पड़ रहा है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- हमारी सरकार ने किसानों की चिंता की है । किसानों के लिये जितनी चिंता हमारी सरकार ने की उतनी आपने नहीं की । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको लिया जाये । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- श्री चंद्राकर जी पहले आप इस्तीफा तो दे दीजिए । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- दूसरी बात जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 300 हमने दिया या नहीं दिया ? आपने 2500 रूपये में खरीदा या नहीं खरीदा ? (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- हमारी सरकार ने जितनी चिंता किसानों के लिए की है, उतनी चिंता आपकी सरकार ने नहीं की है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव चन्द्रा ।

श्री संतराम नेताम :- आपने कहा था 300 रूपया बोनस देंगे, आज तक नहीं दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें मेंडेड आ चुका है, आप हार गए हैं । अब उस पर चर्चा नहीं होगी, नये सिरे से चर्चा होगी । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम परसदा में 13 तारीख को एक 13 वर्षीय बच्चा मास्टर बबलू पटेल, खेल रहा था और शाम को 7 बजे बिजली के खंभे में उसका हाथ टच हुआ, लोहे का खंभ था, करंट से उसकी मृत्यु हो गई । मृत्यु होने के बाद न तो बिजली विभाग पर कोई कार्रवाई हुई और न ही उस परिवार को सहायता राशि दी गई है । वह बहुत ही गरीब परिवार है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि ऐसे गरीब परिवार को सहायता दी जाए और बिजली विभाग जिनकी गलती के कारण उस खंभे में करंट होने से उस बच्चे की मृत्यु हुई । विभाग पर कार्रवाई की जाए ।

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसानों पर संकट आया है । न तो खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है और न ही ऋण मिल रहा है । सरकार की कर्जमाफी के कारण सभी बैंकों में केसीसी देना बंद कर दिया गया है और किसानों पर एक गंभीर संकट छाया हुआ है । मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण दिया है, आपसे अनुरोध है कि ग्राह्य करके उस पर चर्चा कराएं ।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- अध्यक्ष महोदय, अभनपुर नहर उद्वहन सिंचाई परियोजना एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना थी । लगभग 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के खेतों में सिंचाई होती थी ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लेकिन पिछले 15 सालों में इस बीती सरकार की दुर्दशा के कारण सारे पम्प बर्बाद हो गए हैं, सारे पम्प खराब हो गए हैं । आज 2 हजार, 3 हजार हेक्टेयर में भी सिंचाई नहीं हो पा रही है । पम्प की खरीदी भी नहीं की गई है । इस समय ऐसे ही अभी सूखे की स्थिति दिख रही है । लगभग 10 हजार हेक्टयर कमांड एरिया है । यदि शीघ्र ही पम्प की खरीदी नहीं की गई और उसे ठीक नहीं किया गया तो पूरी फसल चौपट होने की संभावना है । अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ विषय है । भू-माफिया लोग नहरों को काटकर समतल कर रहे हैं । मैंने इस पर भी ध्यानाकर्षण दिया है । कृपया ग्राह्य करें ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है । हम स्थगन पर चर्चा कर रहे थे और माननीय सदस्य शून्यकाल की चर्चा करने लगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय, अभी शून्यकाल ही चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, स्थगन स्वीकार नहीं हुआ है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हम आग्रह कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- वे वरिष्ठतम् नेता हैं, मुझे उनकी बात सुनने दीजिए । अभी मैं आपके स्थगन प्रस्ताव के विषय को सुन रहा हूं, उनके निवेदन पर शून्यकाल में । अभी ग्राह्य नहीं हुआ है । अभी उन्होंने शून्यकाल में उठाने का निवेदन किया है ।

श्री ननकीराम कंवर :- शून्यकाल का है लेकिन अभी हमारे स्थगन के विषय पर चर्चा हो रही है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- काका, अभी शून्यकाल चल रहा है ।

श्री ननकीराम कंवर :- आप सब चीज में बोलने वाले हो भइया ।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- अध्यक्ष महोदय, बैलाडीला निक्षेप क्रमांक 13 पर फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से आवंटित हुई है, मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण लगाया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष को ध्यानाकर्षण लगाना पड़ता है तो इससे बुरी स्थिति कोई नहीं हो सकती ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष वहां हैं, सदन में तो सदस्य हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी से पूछना चाहता हूं । आप किसानों के कर्ज माफी की बात बोल रहे हैं । आप अपने 15 साल में किए गए कर्ज माफी के बारे में बताइए । आपने कितना कर्ज माफी की है ?

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय, मेरे ग्रामीण अंचलों के शिक्षकों को शहर में लाकर संलग्नीकरण कर दिया है । माननीय मंत्री जी के पत्र लिखने के बाद भी कलेक्टर नहीं मान रहे हैं । मैंने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है, कृपया ग्राह्य करें । (शेम शेम की आवाज)

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष जो आरोप लगाए हे, मैं अपन भाषा में कुछ उदाहरण सहित विपक्ष ला बताना चाहत हौं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपने ही बोलने के लिए कहा है। (सौरभ सिंह, सदस्य को बोलने हेतु संकेत किया था)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब थोड़ी न चाहिए।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सूचना दिया है प्रदेश में सारे राष्ट्रीयकृत बैंको से कहीं पर भी ऋण माफ नहीं हुआ है। किसान के0सी0सी0 पाने के लिए तरस रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में कहीं पर भी नहीं दिया जा रहा है। जो सहकारी बैंक के जो डिफाल्टर किसान थे, जिनको कहा गया था कि आपका ऋण माफ होगा, वे ऋण माफी की तैयारी में बैठे हुए थे और उनका ऋण माफ नहीं हुआ है। आज वे सोसायटियों में जा रहे हैं तो उनको न तो खाद दिया जा रहा है, न के0सी0सी0 दिया जा रहा है और न बीज दिया जा रहा है। इस पूरी प्रकिया से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। किसान दर-दर भटक रहे हैं। लगातार बिजली की कटौती हो रही है, पम्प चलाने के लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे फीडर तक लाईन नहीं जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे स्थगन की सूचना को ग्राह्य किया जाये।....(व्यवधान)

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर समस्या है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से निवेदन करता हूँ कि 15 साल के कर्जमाफी के आकड़ें बतायें।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति गंभीर होती जा रही है। ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये। के0सी0सी0 नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आसंदी से आग्रह है कि जिस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, विषय आपके ध्यान में ला रहे हैं।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- फर्जी आरोप लगाना बंद करो।

श्री धरम लाल कौशिक :- कृपया आप उनको समय दें, उनको सुने, जिसमें आप आगे निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय :- आपने गंभीर विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्जी आकड़ें के आरोप बंद किया जाये। आकड़ें की बात है तो आकड़ें प्रस्तुत होनी चाहिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- फर्जी आरोप लगाना बंद करें। विपक्ष जब से फर्जी आरोप लगा रहे हैं।

(सत्ता पक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 साल सरकार चलाने के बाद ये 15 सीट पर आ गए हैं। किसानों ने सबक सिखा दिया है। अब तो सबक सीखिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आदरणीय आपके आकड़ें ऐसे हैं, आप कल किसी न्यूज पेपर को आधार मानकर जीवित आदमी को मृत घोषित कर दिया था। (शेम-शेम की आवाजें) आप जिंदा आदमी को मृत घोषित कर देते हो। आपके फर्जी आकड़ें हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई किसान आत्महत्या करता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आज भी किसी जिंदा किसान को मरा हुआ घोषित करना चाहते हो क्या ?

डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव :- .मरे आदमी को घर दिए हैं।

श्री सौरभ सिंह :- बृहस्पत सिंह जी, आपके विधान सभा क्षेत्र में एक आदमी को पुलिस वालों ने थाने के अंदर लॉकअप में लटका दिया। आप उसको देखने भी नहीं गये।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसा लगता है जैसे आप वहां देख रहे थे।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं-नहीं, हम नहीं देख रहे थे, हम पूरी इन्क्वारी करके गये हैं। वहां पर फांसी लगाया है करके हमारा ध्यानाकर्षण है।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिन लोगों ने उसको दण्डित किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किसान आत्महत्या करता है। किन परिस्थितियों में आत्महत्या करता है, उसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्थगन से अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। जब आप ग्राह्य करेंगे तो ये इनको बेनकाब कर सकते हैं और हम सब मिलकर के आपको बेनकाब करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ग्राह्यता पर चर्चा या ग्राह्य करने के लिए निवेदन भी नहीं करने की जो कोशिश हो रही है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है। आज के ही अखबार में बहुत छपा है- नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने जानकारी दिया है कि अगर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं आत्महत्या हो रही है तो छत्तीसगढ़ में हो रही है और पूरे पेज भर में आया है। अध्यक्ष जी, पानी नहीं गिर रहा है, बिजली है नहीं, खाद-बीज है नहीं, कर्जा माफ हुआ नहीं है और प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है, व्यवस्था चरमराई हुई है। तो निश्चित रूप से 15-20 दिन, एक महीने के अंदर बहुत ही संकट की स्थिति आने वाली है। जब आत्महत्या के विषय में चर्चा होगी तो दोषी तो दण्डित होंगे ही, लेकिन आगे भी इस प्रदेश के किसानों को उनके हक से वंचित न किया जाये, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसमें सरकार को बड़े दिल से स्वीकार करके खुद चर्चा कराना चाहिए। अगर इस प्रदेश का एक भी किसान आत्महत्या करके मरा है, तो इस सरकार को किसानों के हित की बात करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसको ग्राह्य करिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं पूछ रहा हूँ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 65 प्रतिशत ऋण का भुगतान हो चुका है, मतलब दो तिहाई मामला हल हो चुका है। जहां तक बिजली की बात है...।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहां पहुंच गये हैं।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- चार सौ यूनिट तक बिजली बिल आधा होने के कारण लोगों ने बिजली के कनेक्शन ज्यादा ले लिए हैं, पम्प के कनेक्शन बढ़ गए हैं। इसलिए बिजली की जो बात की जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ग्राह्य न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी कह रहे हैं न, आपकी ग्राह्यता स्वीकार है या नहीं, यह मैं उनसे पूछ रहा हूं । अगर आप उसके पहले कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- पूछ लीजिए ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप पहले बोलेंगे ?

श्री धरम लाल कौशिक :- वैसे तो आपको स्वीकार है तो फिर हम लोग बोलना शुरू करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो विशेष रूप से आपकी गंभीरता को देखकर संसदीय कार्यमंत्री से पूछ रहा हूं । अगर वे चर्चा करने को तैयार हैं तो मैं अपना कुछ विचार व्यक्त करूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, हम लोग आपकी चिन्ता समझ रहे हैं। इसीलिए आप सरकार की तरफ बोलकर आदेश कर रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जो स्थगन का प्रस्ताव दिया गया है। अगर वह नियम संगत होगा तो आसंदी से आप व्यवस्था दें । एक ही प्रस्ताव में पहला पंक्ति में किसानों की बीज की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है । यह आपने कृषि विभाग को लिखा हुआ है । उसी स्थगन में आपने दूसरी पंक्ति में लिखा है कि इस प्रदेश में कर्ज माफी कितने प्रतिशत हुई ? अभी माननीय डॉ. साहब कह रहे थे कि 65 प्रतिशत हो पाया है, बाकी नहीं हो पाया है । आपने कुछ तो स्वीकार किया, लेकिन आपने दूसरा विषय कर्ज माफी का को-आपरेटिव्ह डिपार्टमेंट का लिखा हुआ है ।

समय :

12:46 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी.....।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी को बोलने देंगे या छेड़ने की आदत पड़ गई है । माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, आपने बहुत बोला है । शर्मा जी, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है, बीच में टोका-टोकी क्यों कर रहे हैं ? उनका वक्तव्य आ जाने दीजिए, उसके बाद चर्चा कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, हमने अपने ध्यानाकर्षण में सिर्फ एक ही चीज लिखा है-किसान । हमारे स्थगन में सिर्फ किसान लिखा है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, भले ही विभाग अलग-अलग हो, लेकिन एक तरफ किसान हैं और सभी किसान हैं, ये सभी किसानों की पीड़ा है और सरकार जवाब दे दे, कोई भी मंत्री जवाब दे दे, उत्तर आ जाये ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि विषय अलग-अलग है । अब आज की जो स्थिति है, उसमें लगभग 15 जिले में अकाल की स्थिति निर्मित है। अब उसका परीक्षण कराएंगे तो राजस्व विभाग में आयेगा । अब राजस्व विभाग यह बतायेगा कि कितनी बारिश हुई और कितना बारिश नहीं हुई । खाद-बीज का मामला आया, आपका विषय आया तो किसान को अलग-अलग करके पार्ट में आप चर्चा नहीं कर सकते । मानसून सत्र चल रहा है । मुझे लगता है कि किसानों के लिए यह मानसून सत्र समर्पित होना चाहिए, सदन समर्पित हो । प्रदेश की जो सबसे बड़ी आबादी है, वे हमारे किसान हैं । आज भी आजीविका के सबसे बड़े साधन हैं, वे कृषि के ऊपर निर्भर हैं । बाकी बाद में आएंगे और यदि किसान का निकालेंगे कि ये कृषि विभाग का है, ये ग्राम सेवक का है, ये पटवारी का अलग है, ये बैंक का सहकारिता का अलग है और ये विपणन का अलग है तो आप उसकी चर्चा नहीं करा पाएंगे और संभव ही नहीं है कि चर्चा हो सके ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आप सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं ।...(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- इसमें किसानों को केन्द्र बिन्दु मानकर आप चर्चा कराईए और जब इस विषय में चर्चा कराएंगे तो हम लोग अपनी बात रखेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे । मेरा कहना है कि किसान को टुकड़े में मत बांटिए, आप समग्र रूप से किसान को देखिए और किसान को समग्र रूप से केन्द्र बिन्दु बनाकर इसको चर्चा में आप स्वीकार करें और उसके बाद पूरे तथ्य को हम लोग रखेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति जी, सहकारी समिति, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, को-आपरेटिव्ह सब मिलकर किसान बनते हैं । सब मिलकर किसान बनते हैं और जब किसान ने आत्महत्या की तो उस पर चर्चा करा लीजिए । बीज बोने भर से किसान थोड़ी हो जाता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- सभापति महोदय, मानसून सत्र किसानों से संबंधित समस्याओं के चर्चा के लिए ही होता है । जब मोहम्मद अकबर जी कवासी लखमा का जवाब देते हैं, तब

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तो बोलते हैं कि संयुक्त जिम्मेदारी है और अभी संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े होकर कौन सी नई बात कह रहे हैं । ये आश्चर्यजनक है कि जब हम किसान की बात कर रहे हैं तो वे बोलते हैं कि सहकारिता का है, ये कृषि विभाग का है, ये राजस्व विभाग का है । सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है, पूरा सदन, पूरी सरकार, पूरा प्रदेश किसानों के लिए काम करता है । जब पूरे प्रदेश में अव्यवस्था का आलम है...

श्री बृहस्पत सिंह :- सरकार सभी वर्गों के लिए चिंतित है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सभापति जी से बात कर रहा हूं । जब पूरे प्रदेश में ये आलम है कि लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, पम्प नहीं चल रहे हैं । आपके भी कार्यक्रमों में बिजली गोल होती है, आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति जी, 15 सालों में बिजली विभागों में इतनी कमीशनखोरी हुई है, उसका नतीजा अभी दिख रहा है । घटिया ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ।

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, उनके कर्जे माफ नहीं होने के कारण उनको दोबारा कर्जे नहीं मिल रहे हैं, प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहे हैं और इस सत्र में अगर किसानों के ऊपर में चर्चा नहीं होगी तो कब होगी इसलिए आपसे आग्रह है कि इस स्थगन को आप स्वीकार करें । स्वीकार करके इसके ऊपर में चर्चा करवाएं और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, आप उसके बारे में सब विभागों से जवाब लेकर यहां पर जवाब दें । अगर यह नहीं होता है तो इस मानसून सत्र का क्या औचित्य है । आप भी विपक्ष में रहे हैं । आपने भी देखा है कि मानसून सत्र चेयर पर बैठे हुये विधान सभा के अध्यक्ष, सभापतियों ने कहा है कि विधान सभा के इस मानसुन सत्र में किसानों से संबंधित चर्चा होनी चाहिये । हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसे स्वीकार करें और इस पर चर्चा करवायें ।

सभापति महोदय :- देखिये, इस पर ध्यानाकर्षण सूचना ग्राहय है । उस पर सब को समुचित अवसर मिलेगा । मैं समझता हूँ कि ....(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, स्थगन पर चर्चा करवायें, अध्यक्ष महोदय ।

सभापति महोदय :-स्थगन पर चर्चा माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने अग्राहय कर दिये हैं । स्थगन पर माननीय अध्यक्ष जी ने पूर्व से अग्राहय कर दिया है । इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह संभव नहीं है । आप कैसे अग्राहय कर दिये हैं, गलत है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी कहां किये अध्यक्ष जी, वह तो बोले हैं, मैं विचार कर रहा हूँ । अभी जाने के दो मिनट पहले बोले ..... (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण की सूचना में आपको पूरा अवसर मिलेगा ... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मनिट के लिए स्थगति ।

(12.53 बजे से 1.05 बजे तक कार्यवाही स्थगित।)

समय :
1:05 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किसानों को लेकर इस सत्र में हमने स्थगन का जो प्रस्ताव दिया है और आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आज अकाल की स्थिति निर्मित हुई है। किसानों को रोपा लगाने के लिए बिजली की शख्त आवश्यकता है लेकिन बिजली आ कम रही है जा ज्यादा रही है और जिस प्रकार से अघोषित कटौती हो रही है इस अघोषित कटौती से किसान रोपाई करने में भी अपने आपको असफल साबित पा रहे हैं। मैं कल ही बात किया, बहुत सारे जगहों पर खाद की समस्या है, पोटाश, आपके किसी भी सोसायटी में नहीं हैं, महामाया धान के बीज इस बार आये ही नहीं। पूरे प्रदेश के किसान इन सारे विषयों को लेकर आक्रोशित हैं। आपने को-ऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक में उनके कर्ज तो माफ कर दिये लेकिन कर्ज माफ करने के बाद अल्पावधि के उसके एवज में सरकार की तरफ से बैंक को जो पैसा जाना चाहिए वह पैसा आज तक वहां नहीं गया है इसके कारण उनको जो प्रमाण पत्र मिलना चाहिए वह प्रमाण पत्र उनके हाथ में नहीं आया है और इसके कारण के.सी.सी. का लोन उनको नहीं मिल रहा है। के.सी.सी. लोन नहीं मिलने के कारण आज किसान भटक रहे हैं। आज उनको बी-1 का नकल नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व में व्यवस्था दी जा चुकी है। अब मैं नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन में नारे लगाये गये।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1:06 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

सभापति महोदय :- माननीय श्री धरमलाल कौशिक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगे।

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) ने सदन में उपस्थित रहकर भी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी।)

(2) प्रदेश में अमानक खाद एवं बीज की बिक्री की जाना।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में अमानक खाद एवं बीज खपाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में लगभग 10 हजार से ज्यादा दुकानदार हैं, जो खाद एवं बीज की सप्लाई करते हैं, लेकिन इनमें से 50 प्रतिशत विक्रेता बिना लाईसेंस के अमानक खाद एवं बीज बेच रहे हैं। प्रदेश में लगभग 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल हेतु औसतन 8 लाख क्विंटल बीज एवं 10 लाख टन खाद की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ के बाजार में नकली जिंक सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट में मिलावट कर नकली खाद का व्यापार किया जा रहा है, जिसके कारण फसल तो बर्बाद हो ही रही है और इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है। अमानक खाद एवं बीज की शिकायत मिलने पर वर्ष 2015-2016 में 114, वर्ष 2016-2017 में 69 और वर्ष 2017-2018 में 64 नमूने फेल होने के कारण कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया, किन्तु बाद में यही कंपनियां नाम बदलकर फिर से बाजार में अपना माल उतारकर किसानों से धोखाधड़ी कर रही हैं। इस पूरे कारोबार में कृषि एवं बीज निगम के अफसरों की भूमिका संदेह के दायरे में है। इससे प्रदेश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

(भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

1:09 बजे

<u>नियम 250 (1) के तहत गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>

सभापति महोदय:- विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये हैं।

भारतीय जनता पार्टी

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री ननकीराम कंवर
5. श्री पुन्नूलाल मोहले
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री नारायण चंदेल
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
10. श्री सौरभ सिंह
11. श्री डमरूधर पुजारी
12. श्री विद्यारतन भसीन
13. श्री रजनीश कुमार सिंह
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.)

1. श्री धर्मजीत सिंह
2. डॉ. रेणु अजीत जोगी

बहुजन समाज पार्टी

1. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
2. श्रीमती इन्दू बंजारे

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, खरीफ 2019 हेतु 8 लाख 550 क्विंटल बीज एवं 10 लाख 50 हजार मे. टन उर्वरक की आवश्यकता आंकलित की गई है। इसके विरूद्ध दिनांक 14.07.2019 की स्थिति में 8 लाख 55 हजार 627 क्विंटन बीज एवं 9 लाख 01 हजार 817 मे. टन उर्वरक राज्य में भंडारित कराया जा चुका है। कृषकों द्वारा अभी तक 6 लाख 873 क्विंटल बीज का उठाव किया जा चुका है जो मांग का लगभग 80 प्रतिशत है। इसी प्रकार उर्वरक की आंकलित आवश्यकता के विरूद्ध उर्वरक वितरण 4 लाख 99 हजार 064 मे.टन है जो मांग का 48 प्रतिशत है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जमीन में आते-आते बहुत देर हो गयी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- राज्य में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों के विक्रय हेतु कुल 13,682 विक्रय अनुज्ञा/विक्रय अभिस्वीकृति जारी की गई है। इनमें 3950 विक्रय अनुज्ञा बीज हेतु, 5170 उर्वरक विक्रय अभिस्वीकृति तथा कीटनाशी रसायनों के विक्रय हेतु जारी 4562 अनुज्ञा सम्मिलित है। कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं उचित मूल्य पर प्रदयागी भी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, डॉ. रमन सिंह जी को जमीन में बैठाने के लिए बृजमोहन जी का चाल है। (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, भैय्या बृहमोहन जी अपनी योजना में सफल हो गये।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, बहुत देर हो गयी जमीन मे आते-आते। अगर पहले आ जाते तो 15 में होते।

श्री रविन्द्र चौबे :- इस कार्य को अभियान के रूप में चलाने राज्य एवं जिला स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है। इन उड़नदस्तों द्वारा सघन रूप से कार्यवाही की जा रही है। 18 जून, 2019 को राजनांदगांव जिले के ग्राम-अंजोरा में श्री बलराम कृषि (उत्पादन एवं विपणन) को-ऑपरेटिव सोसायटी (सबको) के जैविक उर्वरक निर्माण केन्द्र का निरीक्षण किया गया तथा संदेह के आधार पर अविक्रित "फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर" एवं निर्मित की जा रही अन्य सामग्रियों के नमूने लिये गये तथा उक्त सामग्रियों को निरूद्ध कर विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये गये।)

इसके उपरांत दिनांक 05 जुलाई, 2019 को महासमुंद एवं रायपुर के 03 निर्माण स्थलों में एक साथ छापेमार कार्यवाही की गई। महासमुंद जिले के औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी में श्री तुलसी फास्फेट

लिमिटेड के उर्वरक (सूक्ष्म तत्व) निर्माण परिसर में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1885 को उल्लंघन पाये जाने पर उपलब्ध उर्वरक स्कंध को निरूद्ध करते हुए निर्माता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र में अल्फा बायो प्रोड्क्ट्स में बोरॉन (उर्वरक) के साथ ही कीटनाशी रसायनों का भी बिना अनुमति निर्माण करना पाया गया। भनपुरी रायपुर में स्थित "माधव एग्रो केन्द्र प्रायवेट लिमिटेड" में एक वर्ष पूर्व निर्मित जिंक सल्फेट को रिपैकिंग की संभावना में निरूद्ध करते हुए निर्माता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

दिनांक 09.07.2019 को भी दुर्ग, महासमुंद एवं रायपुर के निर्माण परिसरों में एक साथ दबिश दी गई। ग्राम-बिरकोनी, जिला-महासमुंद स्थित जैनिथ एग्री जोन प्रायवेट लिमिटेड में निर्मित किये जा रहे कीटनाशी रसायनों के "एन्टीडोट दवाओं" तथा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की अनुपलब्धता के कारण रायपुर स्थित यूनाईटेड पेस्टीसाइड लिमिटेड एवं ग्राम-रवेलीडीह जिला-दुर्ग स्थित अथवा एग्रो केमिकल्स के निर्माण स्थल पर प्राप्त संदेहास्पद समस्त स्कंध को निरूद्ध कर दिया गया तथा निर्माता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 13.07.2019 को राजनांदगांव शहर स्थित कोठारी कृषि केन्द्र में राज्य स्तरीय दल के निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से बीज एवं कीटनाशी रसायनों का भंडारण पाये जाने पर दुकान एवं गोदाम सील कर दिया गया।

जिला स्तरीय उड़नदस्तों द्वारा भी सघन कार्यवाही की गई है। शासन द्वारा जारी अभियान के अंतर्गत समग्र रूप से बीज से संबंधित 858 विक्रय केन्द्र, उर्वरक से संबंधित 912 विक्रय केन्द्र तथा कीटनाशी रसायन विक्रय से संबंधित 593 केन्द्रों इस प्रकार कुल 2363 विक्रय केन्द्रों का सघन निरीक्षण अभी तक किया जा चुका है। 9 बीज विक्रय केन्द्रों, 10 उर्वरक विक्रय/निर्माण केन्द्रों तथा 03 कीटनाशी रसायन विक्रय/निर्माण प्रक्रिया अथवा सामग्री के अमानक होने की आशंका जैसी स्थितियों के दृष्टिगत सामग्री जप्त करने एवं निरूद्ध करने की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार 58 प्रतिष्ठानों में विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है तथा 13 अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को जारी अनुज्ञा निलंबित की गई है। इसके अलावा 02 प्रतिष्ठानों को जारी उर्वरक विक्रय अभिस्वीकृति निरस्त कर दी गई। 02 प्रकरणों में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 16 प्रकरण न्यायालय अथवा जिला दण्डाधिकारी कोर्ट में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। प्रतिबंधित कंपनियों द्वारा नाम बदलकर व्यवसाय करने संबंधी कोई भी प्रकरण विभाग के संज्ञान में नहीं आया है।

राज्य निर्माण के पश्चात् कभी भी इतने सघन पैमाने पर कार्यवाही नहीं की गई है। शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवैध व्यापार एवं गुणवत्ताहीन सामग्री प्रदायगी जैसी गतिविधियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही से राज्य के कृषकों में शासन के प्रति विश्वास और बढ़ा है अत: कृषकों में आक्रोष होने संबंधी कथन तथ्यहीन एवं निराधार है।

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, सम्मान के लायक पहले काम करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाए गये)

सभापति महोदय :- माननीय अरूण वोरा जी।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, ये पिछले 3 वर्षों में जो खराब खाद और बीच का वितरण किया गया था, जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने छापा मारने की कार्यवाही प्रारंभ की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो खराब खाद और बीज वितरित किये हैं, सप्लाई की गई है उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? और कब-कब कार्रवाई की गई है? आप इसकी भी जानकारी देंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाए गये)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, ये ध्यानाकर्षण भी किसानों का है। ये ध्यानाकर्षण भी किसानों के अमानक खाद का है। थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। ये जो चल रहा है, वह भी किसानों का है। आप लोग सुन लीजिए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, 15 सालों में किसानों की क्या दुर्दशा हुई है? इस समय घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसानों ने आत्महत्या की है। इसी सदन में हम लोगों ने कई बार मामले को उठाया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाए गये)

समय :
1:18 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक11 सन् 2019)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक11 सन् 2019) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं, पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूँ।

(समस्त निलंबित सदस्य सदन से बाहर गये)

(2) **<u>छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019)</u>**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) का पुर: स्थापन करता हूँ।

<u>(3) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019)</u>

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सभापति महोदय, मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सभापति महोदय, मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

(4) **छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019)**

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं।

समय :
1:22 बजे

<u>निलंबन समाप्ति की घोषणा</u>

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे। मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 18 जुलाई 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपरान्ह 1 बजकर 22 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 18 जुलाई 2019 (आषाढ़ 27, शक सम्वत् 1941) के पूर्वान्ह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 16 जुलाई 2019

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं